HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

Endt. No. 1118 / Confdl / 2017 II-3-121/92 (Pt.-3)

Dated 7th September, 2017

Copy of Letter No. A-12030/2/2017-CLS-II, dated 10.08.2017 of the Under Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment, New Delhi, along with, enclosures, regarding vacancy to the post of **Presiding Officer in CGIT-cum-Labour Court** in various parts of the Country is being uploaded for information of all eligible candidates.

Encl: As above.

(MOHD. FAHIM ANWAR)

No. A-12030/2/2017-CLS-II Government of India Ministry of Labour & Employment *****

> Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi – 110001 Dated the August, 2017

Τo,

The Registrar General All High Courts,

Sub: Filling up the post of Presiding Officer of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, New Delhi-II, Chennai, Ernakulam, Chandigarh-II, Jabalpur, Jaipur, Dhanbad-I and Dhanbad-II - regarding.

Sir,

I am directed to say that the post of Presiding Officer of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court (CGIT-cum-LC) at New Delhi-II, Chennai, Ernakulam, Chandigarh-II, Jabalpur, Jaipur, Dhanbad-I and Dhanbad-II are to be filled up shortly in terms of provisions of The Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualifications, Experience, and other Conditions of Service of Members) Rules, 2017. A copy of Notification of the said rules i.e. No. G.S.R. 514 (E), dated 01.06.2017 is enclosed as **Annexure-I**.

2. According to these provisions, a person shall not be qualified for appointment as Presiding Officer, unless he/she-

- (a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court; or
- (b) he has, for a period of not less than three-years, been a District Judge or an Additional District Judge; or
- (c) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty years in economics, business, commerce, law, finance, management, industry, public affairs, administration, labour relations, industrial disputes or any other matter which in the opinion of the Central Government is useful to the Industrial Tribunal.

High Court of I and a meeting Contd...p/2 dhitchent into

3. The terms and conditions of presiding officers so appointed will be as per Rules indicated under para 1 above.

4. Earlier vacancy circulars 21.11.2016 (in r/o CGIT-cum-LCs Jabalpur, New Delhi-II and Chennai), 19.12.2016 (in r/o CGIT-cum-LC, Ernakulum), 01.12.2016 (in r/o Chandigarh-II), 02.01.2017(in r/o Jaipur), 08.03.2017 (in r/o Dhanbad-I) and 08/12.05.2017 (in r/o of Dhanbad-II) for filling up vacancies of Presiding Officers may be treated as **cancelled**. Those who had applied in response to the said earlier vacancy circulars **need to apply afresh in response to this vacancy circular**.

5. It is requested that a panel of names of applicants who are willing to be appointed as Presiding Officer of CGIT-cum-LCs at New Delhi-II, Chennai, Ernakulam, Chandigarh-II, Jabalpur, Jaipur, Dhanbad-I and Dhanbad-II and fulfill the eligibility conditions as per Notification No. G.S.R. 514 (E), dated 01.06.2017, may please be sent to this Ministry within a period of one month from the date of issue of this letter.

6. A set of three (03) proformae (**Annexure-II**, **III** & **IV**) are to be appended to <u>each</u> application. A check-list (copy placed at **Annexure-II** regarding the documents/copies enclosed may be sent with <u>each</u> application. The Bio-Data of <u>each</u> of the officers may be furnished in the proforma placed at **Annexure-III** to be filled in by the concerned officer and <u>attested by the concerned Registrar</u> <u>General</u>. The nomination of <u>each</u> of the officers may be forwarded along with an abstract of ACRs (if applicable to the officer) of the last five years duly certified in the proforma placed at **Annexure-IV**, along with the ACR dossiers and vigilance clearance (if applicable to the officer).

7. It is requested that a panel of names of judicial officers who fulfill the requirements, as mentioned above and are willing to take up the assignment on terms and conditions mentioned in the enclosed Rules (Annexure-I) may please be furnished to this Ministry along with the proformae (Annexure-II, III & IV).

8. Nominations with complete proformae and verified copies of ACR dossiers (if applicable) only will be entertained by the Ministry.

9. This Circular may be given wide publicity so that sufficiently large number of candidates apply for the post.

Yours faithfully,

(S. K. Sipgh) Under Secretary to the Government of India Tel. No. 011-23766903

- I. Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi with the request that a panel of names of Judicial Officers (retired or serving) who are willing to be appointed to the post of the Presiding Officer of the CGIT-cum-LC, New Delhi-II, Chennai, Ernakulam, Chandigarh-II, Jabalpur, Jaipur, Dhanbad-I and Dhanbad-II may kindly be forwarded to this Ministry.
 - 2. All Dy. Chief Labour Commissioners (C) with the request to take up the matter with the Registrars of the High Courts concerned for wide publicity of the circular.

Encl: Annexure-I, II, III & IV.

(S. K. Singh) Under Secretary to the Government of India

Annexume-I

REGD. NO. D. L.-33004/99

4



असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 1,2017/ ज्येष्ठ 11,1939
No. 442]	NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 1, 2017/ JYAISTHA 11, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2017

सा.का.नि. 514(अ).—केंद्रीय सरकार, विन्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम वनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अधिकरण, अपील अधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और सेवा शर्तें) नियम, 2017 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

(3) ये नियम, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण, जैमा कि विन्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की आठवीं अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट है, के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य, सदस्य को लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

- (क) "अधिनियम" से वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की आठवीं अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अधिनियम अभिप्रेत है ;
- (ख) "लेखा सदस्य". "प्रशासनिक मदस्य". "न्यायिक मदस्य", "विशेपज्ञ मदस्य", "विधि मदस्य", "राजस्व मदस्य" या "तकनीकी मदस्य" से, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का अधिनियम के तत्स्थानी उपवंधों के अधीन नियुक्त लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेपज्ञ मदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी मदस्य अभिप्रेत है;
- (ग) "अपील अधिकरण", "प्राधिकरण" या "अधिकरण" का वही अर्थ है, जो उनका अधिनियम के तत्म्थानी उपबंधों में है ;

3514 G1/2017

- (घ) "अध्यक्ष" में अधिनियम के तत्म्थानी उपवंधों के अधीन नियुक्त, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ङ) "सदस्य" से लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत, यथास्थिति, प्रतिभूति अपील अधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या उपाध्यक्ष है ;
- (च) "पीठामीन अधिकारी" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय वोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 15ठ के अधीन नियुक्त प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठामीन अधिकारी, बैंकों और विन्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त ऋण वसूली अधिकरण का पीठामीन अधिकारी और केंद्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त औद्योगिक अधिकरण का पीठामीन अधिकारी अभिप्रेत है;
- (छ) "खोजवीन-सह-चयन समिति" से नियम 4 में निर्दिष्ट खोजबीन-सह-चयन समिति अभिप्रेत है ;
- (ज) "उपाध्यक्ष" से, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ;
- (झ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उनका संबंधित अधिनियमों में है।

3. सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हताएं.—यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण, प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेपज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हताएं वह होगी, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति.—(1) यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण, प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठामीन अधिकारी, लेखा सदम्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य या सदस्य की नियुक्ति यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण के संबंध में उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट खोजबीन-सह-चयन समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।

(2) उस मंत्रालय/विभाग, जिसके अधीन यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण, प्राधिकरण का गठन किया जाता है या स्थापित किया जाता है, का सचिव, भारत सरकार खोजवीन-सह-चयन समिति का संयोजक होगा ।

(3) खोजबीन-सह-चयन समिति अपनी सिफारिश करने के लिए अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगी ।

(4) अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरणों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठामीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य या सदस्य की नियुक्ति केवल इस कारण से ही अविधिमान्य नहीं होगी कि खोजबीन-सह-चयन समिति या चयन समिति में कोई रिक्ति या अनुपस्थिति है ।

(5) इस नियम की कोई वात, यथास्थिति, अपील अधिकरण, अधिकरण या प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य या सदस्य, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व उस रूप में कार्य कर रहा है, को लागू नहीं होगी ।

5. चिकित्सक दृष्टया योग्यता.—किसी व्यक्ति को, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा दृष्टया योग्य घोषित न कर दिया जाए, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य या सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा।

6. किसी सदस्य द्वारा त्यागपत्र.—कोई सदस्य, केंद्रीय सरकार को संवोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय पद से त्यागपत्र दे सकेगा :

परंतु सदस्य जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा उसे पहले पद छोड़ने की अनुज्ञा न प्रदान की जाए, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के अवसान तक या जब तक कि उसके उल्तरवर्ती की उस पद पर सम्यकत: नियुक्ति न कर दी जाए या उसकी पदावधि की समाप्ति, इनमें जो भी पूर्वत्तर हो, अपने पद पर वना रहेगा । 7. <mark>सदस्य को पद से हटाना.—</mark>केंद्रीय सरकार, इस निमिन्त उसके द्वारा गठिन समिनि की सिफारिश पर किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी, जिसे

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है;

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोप ठहराया गया है, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वल्लित है;

(ग) शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है;

(घ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है

(ङ) उसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरूपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल हो गया है:

परंतु जहां किसी सदस्य को खंड (ख) में खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर हटाया जाना प्रस्तावित है तो वहां सदस्य को उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दी जाएगी और उन आरोपों के संबंध में सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा :

परंतु यह और कि राप्ट्रीय कंपनी अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य को भारन के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से पद से हटाया जाएगा ।

8. सदस्य के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच की प्रक्रिया.—(1) यदि केंद्रीय सरकार को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक मदम्य, न्यायिक सदस्य, विशेपज सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य के संदंध में दुर्व्यवहार या पद के कृत्यों का पालन करने में अक्षमता के स्पष्ट आरोप का अभिकथन करने की कोई लिखित शिकायत प्राप्त होती है तो भारन सरकार का मंत्रालय या विभाग जिसके अधीन यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण गठिन किया गया है या स्थापित किया गया है ऐसी शिकायत की प्रारंभिक संवीक्षा करेगा।

(2) यदि प्रारंभिक संबीक्षा पर, भारत सरकार का मंत्रालय या विभाग, जिसके अधीन यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण गठित किया गया है या स्थापित किया गया है, की यह राय है कि किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य के किसी दुर्व्यवहार या अक्षमता की सच्चाई की जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार है तो वह जांच संचालित करने के लिए नियम 7 के अधीन गठित समिति को निर्देश करेगी।

(3) ममिति उतने समय या उतने और समय के भीतर, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जांच पूरी करेगी ।

(4) जांच के पूरा होने के पश्चात् समिति केंद्रीय सरकार को अपनी स्पिर्टि प्रस्तुत करेंगी, जिसमें वह अपने निष्कर्षों और पृथक् रूप से आरोपों में से प्रत्येक आरोप पर उन के लिए कारणों का और संपूर्ण मामले पर अपने प्रक्षेपणों, जो वह ठीक समझे, का कथन करेगी ।

(5) समिति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिकथित प्रक्रिया से आवद्ध नहीं होगी किंतु वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगी और उसे अपनी प्रक्रिया को विनयिमित करने की शक्ति होगी, जिसके अंतर्गत अपनी जांच के लिए तारीख, स्थान और समय नियत करना भी है ।

9. सदस्य की पदावधि.—इन नियमों में अन्यथा उपवंधित के सिवाय, यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीटासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेपज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) में यथाविनिर्दिप्ट अवधि के लिए पद धारण करेगा और उस तारीख से, जिसको वह पद धारण करना है से उक्त अनुसूची के स्तंभ (6) में यथाविनिर्दिप्ट ऐसी आयु तक पद धारण करेगा तथा पुन: नियुक्ति का पात्र होगा ।

10. आकस्मिक रिक्ति.—(1) (क) यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रतिभूति अपील अधिकरण के अध्यक्ष की आकस्मिक रिक्ति की दशा में केंद्रीय सरकार को ज्येप्ठतम उपाध्यक्ष की नियुक्ति करने की या उसकी अनुपस्थिति में, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण के किसी एक लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य को अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी के रूप में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(ख) केंद्रीय सरकार को किसी अन्य ऋण वसूली अपील अधिकरण के अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में स्थानापन्न के रूप में नियुक्न करने की शक्ति होगी और ऋण वसूली अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद पर आकस्मिक रिक्ति की दशा में ऋण वसूली अपील अधिकरण के अध्यक्ष को किसी अन्य ऋण वसूली अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को स्थानापन्न पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की शक्ति होगी। 11. वेतन और भत्ते.—(1) यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का अध्यक्ष, या प्रतिभूति अपील अधिकरण को 2,50,000/- रुपए (नियत) और केंद्रीय सरकार के समान वेतन वाला पदधारण करने वाले अधिकारी को अनुज्ञेय अन्य भत्ते और फायदों का संदाय किया जाएगा ।

(2) यथास्थिति, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य को 2,25,000/- रुपए के वेतन का संदाय किया जाएगा और वह भारत सरकार के समान वेतन वाला पदधारण करने वाले समूह 'क' अधिकारी को अनुजेय भत्तों को प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(3) केंद्रीय सरकार द्वारा गठित ऋण वसूली अधिकरण के पीठामीन अधिकारी या औद्योगिक अधिकरण के पीठामीन अधिकारी को 1,44,200-2,18,200/- रुपए के वेतन का संदाय किया जाएगा और वह भारत सरकार के समान वेतन वाला पदधारण करने वाले समूह 'क' अधिकारी को अनुजेय भत्तों को प्राप्त करने का हकदार होगा।

(4) यथाम्थिति, किसी व्यक्ति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य के रूप में नियुक्ति पर, जो किसी पेंशन को प्राप्त करता है तो ऐसे व्यक्ति के वेतन को उसके द्वारा अर्हित पेंशन की सकल रकम से कम कर दिया जाएगा ।

12. पेंशन, उपदान और भविष्य निधि.—(1) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या किसी अधिकरण के सेवारत न्यायिक सदस्य या भारतीय विधिक सेवा के सदस्य या किसी संगठित सेवा के सदस्य की दशा में, जिसकी नियुक्ति प्रतिभूति अपील अधिकरण के अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी के रूप में की जाती है तो, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण में की गई सेवा को उस सेवा के नियमों के अनुसार, जिससे वह संबंध रखता है, पेंशन के लिए गणना में लिया जाएगा और वह साधारण भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं) नियम, 1960 और अभिदायी पेंशन प्रणाली के उपबंधों द्वारा प्रशासित होगा।

(2) सभी अन्य मामलों में लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य अभिदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 और अभिदायी पेंशन प्रणाली के उपवंधों द्वारा प्रशासित होगा ।

(3) यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण में की गई सेवा के लिए अतिरिक्न पेंशन और उपदान अनुज्ञेय नहीं होगा ।

13. **छुट्टी.—**(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए तीस दिन की अर्जित छुट्टी का हकदार होगा ।

(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य को किसी कलैंडर वर्ष में आठ दिन से अनधिक आकस्मिक छुट्टी अनुदत्त की जाएगी ।

(3) छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा प्रशासित होगा ।

(4) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य इस शर्त के अधीन रहते हुए कि अधिकतम छुट्टी नकदीकरण, जिसके अंतर्गत पूर्व मेवा से सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त रकम भी है, उसके खाते में जमा अर्जित छुट्टी के संवंध में छुट्टी के नकदीकरण का हकदार होगा कि उसके द्वारा प्राप्त रकम केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन विहित सीमा से अधिक नहीं होगा।

14. छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी.—(1) निम्नलिखित के लिए,-

(क) किसी उपाध्यक्ष, ऋण वसूली अधिकरण और औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य के लिए, यथास्थिति, छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी अध्यक्ष होगा प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी और प्रतिभूति अपील अधिकरण का होगा; और लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य या सदस्य की दशा में अध्यक्ष, प्रतिभूति अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में केंद्रीय सरकार भी मंजूरी प्राधिकारी होगी।

(ख) अध्यक्ष, प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष की अनुपस्थिति की दशा में अध्यक्ष, प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष के लिए केन्द्रीय सरकार होगी जो लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, के लिए मंजूर करने वाला प्राधिकरण भी होगा ।

(2) केन्द्रीय मरकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकर्नाकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य के लिए विदेशी यात्रा हेतु मंजूर करने वाला प्राधिकरण होगा।

15. गृह किराया भत्ता.—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठामीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य उसी दर पर गृह किराया भत्ते के हकदार होंगे, जो तत्म्थानी प्रास्थिति के भारत सरकार के समूह 'क' अधिकारी को अनुज्ञेय है ।

16. परिवंहन भत्ता.—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी, सदस्य भारत सरकार की तत्म्थानी प्रास्थिति के समूह 'क' अधिकारी को यथाअनुज्ञेय सुविधाओं के अनुसार स्टाफ कार नियम के उपवंधों के अनुसार शासकीय और प्राइवेट प्रयोजनों के लिए स्टॉफ कार की सुविधा के हकदार होंगे ।

17. वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा.—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठामीन अधिकारी या सदस्य अपना पद धारण करने से पूर्व अपनी आस्तयों और अपने उत्तरदायित्वों तथा वित्तीय और अन्य हितों का प्रकटन करेगा ।

18. सेवा की अन्य शर्तें.—(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज सदस्य या तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य, जिसके संबंध में इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, की सेवा के निबंधन और शर्ते वे होंगी, जो भारत सरकार के तत्म्थानी प्रास्थिति के समूह 'क' अधिकारी को अनुज्ञेय हैं ।

(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठामीन अधिकारी या सदस्य किसी अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष, यथास्थिति, उस अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण मे मेवानिवृत्ति के पश्चात् व्यवसाय नहीं करेंगे ।

(3) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण में इन क्षमताओं में कार्य करते हुए कोई माध्यस्थम् कार्य हाथ में नहीं लेंगे ।

(4) यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य या तकनीकी सदस्य उस तारीख से, जिसको वह अपना पद धारण करना समाप्त करते हैं, से दो वर्ष की अवधि के लिए कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे या किसी व्यक्ति, जो यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों में पक्षकार था, के प्रवंधन या प्रशासन से संयद्ध नहीं होगा :

परंतु इस नियम में अंतर्विष्ट कोई वात केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी कानूनी निकाय या किसी केंद्रीय, राज्य या प्रादेशिक अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी कानूनी प्राधिकरण या निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड 45 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी के अधीन किसी नियोजन को लागू नहीं होगी ।

19. पद और गोपनीयता की शपथ.—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य, पीठासीन अधिकारी या सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपना पद धारण करने से पूर्व इन नियमों से उपावद्ध प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा तथा हस्ताक्षर करेगा ।

20. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

21. निर्वचन —यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उदभूत होता है तो उस पर केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

22. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई वात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपवंध करना अपेक्षित है ।

प्ररूप 1

(नियम 19 देखिए)

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

मैं अमुक (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठामीन अधिकारी/उप पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/लेखा सदस्य/प्रशासनिक सदस्य/न्यायिक सदस्य/विशेषज्ञ सदम्य/विधि सदस्य/राजम्व सदस्य/तकनीकी सदस्य/सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने पर

ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंत:करण से (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/उप पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/लेखा सदस्य/प्रशासनिक सदस्य/न्यायिक सदस्य/विशेषज्ञ सदस्य/विधि सदस्य/राजस्व सदस्य/तकनीकी सदस्य/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेप के बिना निर्वहन करूंगा और मैं संविधान और देश की विधियों की मर्यादा को बनाए रखूंगा।

[अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठामीन अधिकारी/उप पीठामीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/लेखा मदस्य/प्रशामनिक मदस्य/न्यायिक मदस्य/विशेषज्ञ मदस्य/विधि मदस्य/राजस्व मदस्य/तकनीकी मदस्य/मदस्य (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम)]

प्ररूप 2

(नियम 19 देखिए)

मैं.......अमुक (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/उप पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/सदम्य की रूप में नियुक्त किए जाने पर ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय, विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्तियों को तब के मिवाय जबकि या मुझे (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम) के (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठामीन अधिकारी/उप पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/तेखा सदम्य/प्रशासनिक सदस्य/न्यायिक सदस्य/विशेषज्ञ सदस्य/विधि सदम्य/राजस्व सदस्य/तकनीकी सदस्य/सदस्य के रूप में विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्तियों को तब के मिवाय जबकि अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/उप पीठामीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को संसूचित नहीं करंगा या प्रकट नहीं करंगा ।

[अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी/उप पीठामीन अधिकारी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/लेखा सदस्य/प्रशासनिक सदस्य/न्यायिक सदस्य/विशेषज्ञ सदस्य/विधि सदस्य/राजस्व सदस्य/तकनीकी सदस्य/मदस्य (अधिकरण/अपील अधिकरण/प्राधिकरण का नाम)]

		01.	[तु पा		
क्रम सं.	अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का नाम	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, तकनीकी सदस्य या सदस्य की नियुक्ति के लिए अईता	खोजबीन-सह-चयन समिति की संरचना	पदावधि	पदधारण करने के लिए अधिकतम आयु (वर्ष में)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)		पीठासीन अधिकारी के लिए	तीन वर्ष	पीठासीन
1	केंद्रीय सरकार	कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी के		तान पप	
	द्वारा औद्योगिक	रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा,–	खोजवीन-सह-चयन समिति :		अधिकारी –
	विवाद	(क) यदि वह उच्च न्यायालय का	(i) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट		पैंसठ वर्ष
	अधिनियम,	न्यायाधीश नहीं है, या नहीं रहा है या	किया जाने वाला व्यक्ति – अध्यक्ष		
	1947 (1947	न्यायाधीश होने के लिए अर्हिन नहीं है	(ii) मचिव, भारत मरकार, श्रम और		
	का 14) के	्या			
	अधीन गठित		रोजगार मंत्रालय – सदस्य		
	औद्योगिक अधिकरण	(ख) वह तीन वर्ष से अन्यून अवधि के लिए जिला न्यायाधीश या अपर जिला	(iii) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट		

अनूसुची

 व्यायाधीन रहा है : या व्यायाधीन रहा है : या (ग) वह योय, मन्यतिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति है तथा उने वीय वर्ष से अनुमव का अर्थशास्त्र, कारवार, वाणिय्य, विधि, विल, प्रवंधत, उद्यांग, मार्वजतिक मामने, प्रशामन, यम मंदंध, औद्योगिक विवाद वा किमी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यवसाविक अनुभव है, जो केंग्रीय मक्ता है। 2 आय-कर वीधितियम, नद्यकि कहा में जीधोगिक अधिकरण के लिए उपयोग हो मक्ता है। 2 आय-कर वीदा के लिए अहिंत नहीं होग मति : वा 43) के पीउनीन या मंवातिवृत्त न्यायाधीन का 43) कि पीउनीन वा मंवातिवृत्त न्यायाधान की पीउनीन या मंवातिवृत्त न्यायाधान की पीउनीन या मंवातिवृत्त न्यायाधान की पा आव-कर अगील अधिकरण के उपाध्यक के रुप में गा वर्ष से अनुमुन सेवा नहीं कर तीहे । (2) केंग्रीय मरकार आग्व-वर्ष वा विष्क कर्यम में या आय-कर अगील अधिकरण के उपाध्यक के रुप में गा वर्ष से अनुमुन सेवा नहीं कर तीहे । (2) केंग्रीय मरकार आग्व-कर अगील अधिकरण ने एक या अधिक मरम्यों को, यदास्थिति, उसका उपाध्यक करम में निद्का किए जाने के लिए कांइ ध्यनिन अहिंग पायाधीशन - अध्यक्ष उपाध्यक के राज्य योधक मत्ययों को, यदास्थिति, उसका उपाध्यक या उपाध्यक विष्ठ कर राज्य योध में करम के तिए जोत्र करा वा अधिक मय्यां का, पदायिक मदस्य के रूप में निद्का के तिए जोत्र कराय संजी । (3) ग्रायिक मदस्य के राज्य योध में कर्या पात्र किए जाने के लिए कांइ ध्यनिन अहिंग महत्य नहीं है और उनने नेया केहिंग (10) किछ और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विध्र के रत्य योखन का त्मविदिशिती - अध्यक्ष (11) मंचिव ति धि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विध्र और क्याय मंत्रालय (विधि कार्य विध्र और व्याय मंत्रालय (या के दिधि और व्याय मंत्रालय (या के इत्य ते कम तील वर्त के हे प्र क्य से कम तील वर्त के हे हो (10) काइक, आय-कर अगीन अधिकरण - मदस्य और (20) दो से अतविक कोई अग्य व्याक्त (21) मंच व्या की में का ही है ; या कां वित्त मात्र विक्त के हे र्या क्या के कर में भीविकरण - मदस्य और (21) दे से अतविक कोई अग्य व्याक्त का वित्त के के राय मंत्री हो ला- याय के का ही प्र तरे का स्वाक हे र या कि का न्या कर्त राय मंत्राल का वित्त मात्र कर ते राय मंत्रा का वित्त मात्र वर्त कर ते राय का वित्त कर का का कर ते कर ये राक्त ना कर्य ते कर ते राय कर्या का वित	[भाग]]-खण्ड 3(i)]	भारत का राजपः	व : असाधारण	7
(i) उसने कम से कम दस वर्ष का लेखाकर्म का व्यवसाय नहीं किया है ;	2. आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन आय-कर अपील	 न्यायाधीश रहा है ; या (ग) वह योग्य, सन्यनिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति है तथा उसे वीस वर्ष से अन्यून का अर्थशाम्त्र, कारवार, वाणिज्य, विधि, विल्न, प्रबंधन, उद्योग, सार्वजनिक मामले, प्रशासन, श्रम संबंध, औद्योगिक विवाद या किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यवसायिक अनुभव है, जो केंद्रीय सरकार की राय में औद्योगिक अधिकरण के लिए उपयोग हो सकता है। (1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हिन नहीं होगा, जव तक वह किसी उच्च न्यायालय का पीठासीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं है, जिसने किसी उच्च न्यायालय में या आय-कर अपील अधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में सात वर्ष से अन्यून सेवा नहीं कर ली है। (2) केंद्रीय सरकार आय-कर अपील अधिकरण के एक या अधिक मदस्यों को, यथास्थिति, उसका उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी। (3) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त विए जाने के लिए कोई व्यक्ति अर्हित नहीं होगा— (क) उसने भारत के राज्यक्षेत्र में कम मे कम दस वर्ष के लिए न्यायिक पद धारण नहीं किया है; या (ख) वह भारतीय विधिक सेवा का सदस्य नहीं है और उसने सेवा की है; या (ग) वह कम से कम दस वर्ष के लिए अधिवक्ता नहीं रहा है; (4) कोई व्यक्ति लेखा सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा,— (i) उसने कम मे कम दस वर्ष का 	किया जाने वाला मचिव, भारत मरकार – सदस्य (iv) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विशेषज्ञ – सदस्य किए जाने वाले दो विशेषज्ञ – सदस्य किए के लिए खोजवीन-सह-चयन समिति : (i) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला उच्चतम न्यायालय का आसीन न्यायाधीश – अध्यक्ष (ii) अध्यक्ष, आय-कर अपील अधिकरण – सदस्य और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) – सदस्य के लिए खोजवीन-सह-चयन समिति : (i) विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) – सदस्य के लिए खोजवीन-सह-चयन समिति : (i) विधि और न्याय मंत्री का नामनिर्देशिती – अध्यक्ष (ii) सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) – सदस्य (iii) अध्यक्ष, आय-कर अपील अधिकरण – सदस्य और (iv) दो से अनधिक कोई अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों, जैमा विधि और न्याय मंत्री नियुक्त करें ।	अध्यक्ष – पेंमट वर्ष उपाध्यक्ष – वासट वर्ष सदस्य –

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

,

8		THE GAZETTE OF INE	DIA : EXTRAORDINARY		SEC. 3(i)]
		रजिस्ट्रीकृत लेखाकार है और भागत:			
		चार्टर्ड अकाउंटेंट है ; या			
		(ii) वह भारतीय राजस्व सेवा (आय-			
		कर सेवा समूह 'क') का सदस्य रहा है			
		और उसने अपर आयुक्त आय-कर या			
		किसी समतुल्य या उच्चतर पद पर			
		कम से कम तीन वर्ष की सेवा की है।			
3.	सीमा-शुल्क	(1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में ि कि के लिए अर्थित की रोण :	(अ) अध्यक्ष के पद के लिए खोजबीन-	तीन वर्ष	अध्यक्ष -
	अधिनियम,	नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा : (क) वह उच्च न्यायालय का	मह-चयन समिति—		सड़सट वर्ष
	1962 (1962	न्यायाधीश है या रहा है ; या	(i) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या		सदस्य – नगगगगा
	का 52) के	(ख) वह अपील अधिकरण का	उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जैमा कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति		वासट वर्ष
	अर्धान - पिप ालन	सदम्य है।	जमा पि मार्ग्स मुख्य पापपूरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए –		
	मीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क	(2) कोई सदस्य न्यायिक सदस्य के रूप	अध्यक्ष		
	अपद-गुल्क और सेवा कर	में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं -	(ii) सचिव, भारत सरकार, राजस्व		
	अपील	होगा	विभाग – मदस्य		
	अधिकरण	(क) उसने भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम दस वर्ष के लिए न्यायिक पद	(iii) सचिव, भारत सरकार, विधि		
		कम दस वेथ क लिए न्याविक पद धारण नहीं किया है ; या	(m) सायप, मारस समय कार्य विभाग – सदस्य		
		(ख) वह भारतीय विधिक सेवा का			
		सदम्य नहीं है और उसने सेवा के ग्रेड 1	(iv) सचिव, भारत सरकार, कार्मिक		
		या किसी समतुल्य या उच्चतर पद पर	और प्रशिक्षण विभाग – सदस्य		
		कम से कम तीन वर्ष की सेवा की है ;			
		या ्	(आ) न्यायिक सदस्य के लिए 		
		(ग) वह कम से कम दस वर्ष के लिए	खोजवीन-मह-चयन समिति—		
		अधिवक्ता नहीं रहा है । (3) कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य के	(i) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश		
		रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं	जैसा कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए –		
		होगा यदि वह भारतीय राजम्ब	िद्वारी नामानादण्ट किया जाए – अध्यक्ष		
		(सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क	अव्यक (ii) सचिव, भारत सरकार, विल्त		
		सेवा समूह 'क') का सदस्य न हो और	(ग) मायप, पार्थ्य संस्थर, मयस मंत्रालय, (राजस्व विभाग) – सदस्य		
		उसने आयुक्त सीमाशुल्क या केंद्रीय			
		उत्पाद-शुल्क या किसी समनुल्य या उच्चतर पद पर कम से कम तीन वर्ष	(iii) सचिव, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य	1	
		की सेवा नहीं की है।	जार स्थाय संप्रापय (ापाध काप विभाग) – सदस्य		
			(iv) अध्यक्ष, सीमाशुल्क उत्पादशुल्क		
) और सेवा कर अपील अधिकरण -		
			। आर मया पर जगान जायमत्त्र = सदस्य ; और		
			(v) दो से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट		
) जो केंद्राय सरकार द्वारा नामानादण्ट किए जाएं – सदस्य		
			ाकर जाए – नदन्य इ. तकनीकी सदस्य के लिए खोजवीन-		
			मह-चयन ममिति		
			(i) मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार -		
			मदस्य		
			(ii) सचिव, भारन सरकार, वित्न		
			मंत्रालय, (राजस्व विभाग) – सदस्य		
			(iii) सचिव, भारत सरकार, कार्मिक		
	1			- J	

[भाग]	[]—खण्ड 3(i)]	भारत का राजप	त्र : असाधारण		9
			लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) – मदस्य (iv) मचिव, भारन मरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) – मदस्य।		
4.	तम्कर और विदेशी मुद्रा छलमाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) के अधीन अपील अधिकरण	 (1) अपील अधिकरण का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या न्यायाधीश रहा है या न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है (2) अपील अधिकरण का सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो भारत मरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो 	 (अ) अध्यक्ष पद के लिए खोजवीन- मह-चयन ममिति,— (i) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायधीम- अध्यक्ष (ii) मचिव, भारत मरकार, राजस्व विभाग – मदस्य; (iii) मचिव, भारत मरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग – मदस्य; (iv) मचिव, भारत मरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग – सदस्य (आ) मदस्य के पद के लिए खोजवीन- सह-चयन ममितिः (i) मचिव, भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग – सदस्य (ii) मचिव, भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग – सदस्य (iii) मचिव, भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग – सदस्य (iii) मचिव, भारत सरकार नार्मिक और प्रशिक्षण विभाग – सदस्य (iii) मचिव, भारत सरकार राजस्व विभाग – सदस्य; (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले भारत सरकार के दो मचिव 	र्तान वर्ष	अध्यक्ष – पैंसट वर्ष सदम्य – वासठ वर्ष
5.	प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) के अधीन केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण	1. कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह, (क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, या रहा है या न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; या (ख) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में प्रशासनिक सदस्य या न्यायिक मदस्य के रूप में तीन वर्ष में अन्यून अवधि के लिए पद धारण किया है। (ग) योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति है और जो अर्थशास्त्र, कारवार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य-कलाप या	 (अ). अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य के पद के लिए खोजवीन-सह-चयन समिति:- (i) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसका नामनिर्देशिती – अध्यक्ष (ii) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ – सदस्य (iii) सचिव, भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग – सदस्य (iv) सचिव, भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय – सदस्य (v) एक विशेषज्ञ, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए – सदस्य 	र्तान वर्ष	अध्यक्ष – अड़सठ वर्ष सदस्य – पैंसठ वर्ष

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [Part II—Sec. 3(i)]

10		THE GAZETTE OF INL		
	্য সগ	ासन या कोई अन्य विषय, जो	लिए खोजबीन-सह-चयन समिति:-	
		<u>द्रीय सरकार की राय में केर्न्द्रीय</u>	(i) ऐसा व्यक्ति, जो केर्न्द्रीय सरकार	
		ासनिक अधिकरण के लिए	द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए -	
		योगी है, का विशेष ज्ञान रखना हो	अध्यक्ष	
		र इनमें कम से कम वीस वर्ष का	(ii) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक	
	वृो	तेक अनुभव रखना हो।		
			अधिकरण – मदम्य	
			(iii) सचिव, भारत सरकार कार्मिक	
		कोई व्यक्ति—) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति	और प्रशिक्षण विभाग – सदस्य	
) न्यायिक मदन्य क रूप में निपुरिल लिए तभी अर्हित होगा जब वह,—	(iv) सचिव, भारन सरकार विधि और	
	(i)		न्याय मंत्रालय – सदस्य	
		ायाधीश है, या रहा है या उसका	(v) एक विशेषज्ञ, जो केर्न्द्रीय सरकार	
		ायाधीश होने के लिए अर्हित है; या	(ग) जुका प्रतिविद्य, असे संप्रती संवय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए - सदस्य	
) जिसने भारत सरकार के विधि र्नु रिज्य स विध्यम के		
		र्य विभाग या विधायी विभाग के चेव, जिसमें भारत के विधि आयोग		
		चव, जिसम मारत का याव जापाण । सदस्य – सचिव भी है, का पद		
	1	। सदस्य – साचव मा ह, का कर म से कम एक वर्ष तक धारण किया		
		,		
		; या		
	1 1	i) जिसने भारत सरकार के विधि		
		ार्य विभाग या विधायी विभाग का पर सचिव का पद कम से कम दो वर्ष		
		क धारण किया हो; या		
		iv) जिसने भारत के राज्य क्षेत्र में		
		म से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद		
		ारण किया हो,— ब) प्रशासनिक सदस्य के रूप में		
		तेयुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा,—		
) जव उसने भारत सरकार के सचिव		
) अब उमने मारेस से मारे हैं। तिसे ज		
		ाज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद		
		ज्म से कम एक वर्ष तक धारण किया		
	ित्	ो और कम से कम एक वर्ष तक ऐसे		
	प	द के वेतनमान में हो जो भारत		
		रकार के सचिव के वेतनमान से कम		
		। हो; या		
	1 1	ii) जब उसने भारत सरकार के अपर		
		।चिव का पद या केन्द्रीय सरकार या		
		केसी राज्य सरकार के अधीन कोई सन्य पद कम से कम दो वर्ष तक		
		प्रन्य पद कम स कम दा वप तक प्रारण किया हो और कम मे कम दो		
		पर्य तक ऐसे पद के वेतनमान में हो जो		
		गरत सरकार के अपर सचिव के		
	हे	वेतनमान से कम न हो:		
		परंतु अखिल भारतीय सेवा के ऐसे	r	
	3	अधिकारी, जो केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर		
	f	केमी निम्नतर पद पर थे या हैं, ऐमी	r	
		तारीख से ऐसे अधिकारी को प्रोफार्म		1

[क्र+1-खण्ड 3(i)]	भारत का राजपः	त्र : असाधारण	11
	प्रोन्नति या वास्तविक प्रोन्नति, जो भी पहले हो, यथाम्थति, मचिव या अपर मचिव के स्तर पर दी गई थी, यथास्थिति, मचिव या अपर सचिव का पद धारण किए हुए ममझे जाएंगे और ऐसी तारीख के पश्चात् केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई अवधि इस खंड के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के लिए गिनी जाएगी।		
6. रेल दावा अधिनयम, 1987 (1987 का 54) के अधीन रेल दावा अधिकरण।	 कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह,- (क) किमी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या उसका न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; या (ख) यथास्थिति, उपाध्यक्ष, न्यायिक मदम्य या तकनीकी मदस्य के रूप में कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण किया है; या (ग) योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति हो तथा रेल से मम्बन्धित दावों और वाणिज्य विषयों की विशेप जानकारी रखता है और उनमें कम से कम पच्चीम वर्ष का वृत्तिक अनुभव रखता हो। 2. कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (न्यायिक) के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह, - (क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हे या रहा है या उसके न्यायाधीश हे ये रहा है या उसके व्यक्ति होने के लिए अर्हिन है; या (ख) भारतीय विधि सेवा का सदस्य रहा है और उस सेवा की श्रेणी 1 का पद या कोई उच्चतर पद कम मे कम पांच वर्ष तक धारण किया है; या (ग) कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए कोई मिविल न्यायिक पद धारण किया है, जिसका वेतनमान भारत सरकार के संयुक्त मचिव के वेतनमान से कम नहीं है; या (ध) न्यायिक सदस्य के रूप में कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण किया है। त कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (तकनीकी) के रूप में नियुक्ति के तभी अर्हित होगा जव उमने,- (क) कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए तकनीकी मदस्य के रूप में पद धारण किया हो; या 	द्वारा मामापाय्ट पायेग जाए = अध्यज्ञ (ii) अध्यक्ष, या मदम्य (यानायात) रेल बोर्ड/मदम्य – मदम्य (iii) मचिव, भारत सरकार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए - सदस्य (iv) रेल से सम्बन्धित दावों और वाणिज्यिक विषयों की जानकारी और अनुभव रखने वाले दो विशेषज्ञ, जे केन्द्रीय सरकार नामनिर्दिष्ट किए जाए - सदस्य	अध्यक्ष – मडमट वर्प उपाध्यक्ष – पैंसट वर्प मदस्य – वासट वर्प

,

12		THE GAZETTE OF INI	DIA : EXTRAORDINARY	[Part II-	SEC. 3(i)]
		(ख) रेल प्रशासन के अधीन कम में कम पांच वर्ष तक ऐसा पद धारण किया है जिसका वेतनमान भारत मरकार के संयुक्त सचिव के वेतनमान से कम नहीं है और जिसे रेल में सम्बन्धित दावों और वाणिज्यिक विषयों के नियमों और प्रक्रियाओं का पर्याप्त ज्ञान है और इनमें पर्याप्त अनुभव रखता है।			
		4. कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जव वह,- (क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या उसका न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; या (ख) जिसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया है।			
		5. कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब बह,- योग्य और ईमानदार तथा अनुभवी व्यक्ति है और रेल से सम्वन्धित वाणिज्यक विषयों के नियमों और प्रक्रियाओं का विशेष ज्ञान रखता हो और उनमें कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखता हो।			
	भारतीय प्रतिभूति विनिमय वोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन प्रतिभूति अपील	1. कोई व्यक्ति प्रतिभूति अपील अधिकरण के पीटासीन अधिकारी या न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित		नीन वर्ष	पीठासीन अधिकारी – सत्तर वर्ष सदस्य - सडसठ वर्ष
	अधिकरण	न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है: (ख) न्यायिक सदस्य के मामले में कम मे कम पांच वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है; या	 (i) पीठासीन अधिकारी, प्रतिभूति अपील अधिकरण - अध्यक्ष (ii) सचिव, भारत सरकार आर्थिक कार्य विभाग - सदस्य (iii) सचिव, भारत सरकार वित्तीय सेवा विभाग - सदस्य (iv) सचिव, भारत सरकार विधायी विभाग या विधि कार्य विभाग - 		
		 (ग) तकनीकी सदस्य के मामले में- (i) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग में अपर सचिव या सचिव है 	विभाग या विधि कीय विभाग - सदस्य		

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
Ą	[भाग II-खण्ड 3(i)]	भारत का राजप	त्र : असाधारण	13
e		या रहा है या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कोई समतुल्य पद धारण कर रहा है; या (ii) सावित योग्य, ईमानदार और अनुभव वाला व्यक्ति, जिसको वित्तीय सेक्टर, जिनके अन्तर्गत प्रतिभूति बाजार या पेंशन निधि या वस्तु व्युत्पन्न या बीमा भी हैं, में विशेष जान रखता है और उनमें कम से कम पंट्रह वर्ष का वृत्तिक अनुभव रखना हो।		
		 वोई या वीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण या पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण का कोई सदस्य या अंशकालिक सदस्य या वोर्ड में या ऐसे प्राधिकरणों में कार्यपालक निदेशक के समनुल्य ज्येष्ठ प्रबंध स्तर पर कोई व्यक्ति अपनी सेवा या कार्यकाल के दौरान प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी या सदस्य के रूप में, यथास्थिति, ऐसे बोर्ड या ऐसे प्राधिकरणों को उम रूप में या उस तारीख से, जिसको वह वोर्ड में या ऐसे प्राधिकरणों में उस रूप में यद पर नहीं रह जाता है, मे दो वर्ष के भीतर नियुक्त नहीं किया जाएगा। प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी या सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं रखता है जिसमे पीठासीन अधिकारी या सदस्य के रूप में उनके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की सम्भावना है। 		
	8. बैंकों और वित्तीय मंस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) के अधीन ऋण वसूली अधिकरण	कोई व्यक्ति ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जव वह,- (क) जिला न्यायाधीश है या रहा है या जिला न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; या (ख) योग्य, ईमानदारी और अर्नुभवी व्यक्ति है और अर्थशास्त्र, कारवार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक, कार्य- कलाप, प्रशासन, बैंककारी, ऋण वसूली या कोई अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार की राय में ऋण वसूली अधिकरण के लिए उपयोगी हो, में विशेष जान रखता हो और उसमें कम से कम वीस वर्ष का और उसमें अनुभव रखता हो।	ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद के लिए खोजवीन- मह-चयन समिति:- (i) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसका नामनिर्देशिनी - अध्यक्ष; (ii) सचिव, भारत सरकार, विन्न मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) – सदस्य; (iii) मचिव, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय – सदस्य; (iv) भारतीय रिजर्व वैंक का गवर्नर या भारतीय रिजर्व वैंक के गवर्नर द्वारा नामनिर्दिष्ट रिजर्व वैंक का डिप्टी गवर्नर – सदस्य; और (v) सचिव, भारत सरकार, अपर	नीन वर्ष पीठासीन अधिकारी – पैंसट वर्ष

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

7

.

\$

14		THE GAZETTE OF INI	DIA : EXTRAORDINAR I	[FAK] [I-	$-SEC. \mathfrak{I}$
			सचिव भारत सरकार, वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग - सदस्य		
9.	वैंकों और वित्तीय मंम्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) के अधीन ऋण वसूली अधिकरण	 कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जव वह,- (क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या उसका न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; (ख) भारतीय विधि सेवा का सदस्य रहा है और उस सेवा की श्रेणी 1 में पद धारण किया है; या (ग) ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में कम से कम तीन वर्ष तक पद धारण किया है। 	ऋण वमूली अपील अधिकरण के अध्यक्ष के लिए खोजवीन-मह-चयन समिति:- (i) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसका नामनिर्देशिती – अध्यक्ष (ii) सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) – सदस्य (iii) सचिव, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय – सदस्य (iv) भारतीय रिजर्व वैंक का गवर्नर या भारतीय रिजर्व वैंक का गवर्नर द्वारा नामनिर्दिष्ट भारतीय रिजर्व वैंक का डिप्टी गवर्नर – सदस्य; और (v) सचिव, भारत सरकार या अपर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग – मदस्य	तीन वर्ष	अध्यक्ष - सत्तर वर्ष
10.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) के अधीन विमानपत्तन अधिकरण	कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा जव वह – (क) किनी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या उसका न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; या (ख) योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति है और अर्थशास्त्र, कारवार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य-कलाप, प्रशासन या किसी अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार की राय में अपील अधिकरण के लिए उपयोगी है, का विशेष ज्ञान रखता हो और उनमें कम से कम पच्चीस वर्ष का वृत्तिक अनुभव रखता हो।	विमानपत्तन अपील अधिकरण के अध्यक्ष पद के लिए खोजबीन-सह- चयन समिति:- (i) ऐसा व्यक्ति, जो केर्न्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए – अध्यक्ष (ii) सचिव, भारत सरकार नागर विमानन मंत्रालय – सदस्य (iii) सचिव, भारत सरकार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए – सदस्य (iv) ऐसे दो विशेषज्ञ है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं - सदस्य		अध्यक्ष – वासठ वर्ष
11.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) के अधीन दूरसंचार विवाद निपटान और अपील अधिकरण	 कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा जब वह – (क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या उसका न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; या (ख) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है; या (ग) उसने सदस्य के रूप में कम मे कम तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण किया है; या 	उसका नामनिर्देशिती – अध्यक्ष (ii) सचिव, भारत मरकार दूरसंचार विभाग – सदस्य (iii) सचिव, भारन सरकार, जो		अध्यक्ष – मत्तर वर्ष मदम्य – पैंमठ वर्ष

[भाग II-खण्ड 3(i)]	भारत का राज	पत्र : असाधारण		1.
	 (घ) योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति है और अर्थशास्त्र, कारवार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य-कलाप, प्रशासन या किसी अन्य विषय, जो केर्न्द्रीय सरकार की राय में दूरसंचार, विवाद, निपटान और अपील अधिकरण के लिए उपयोगी है, का विशेष ज्ञान रखता हो और उनमें कम से कम वीम वर्ष का वृत्तिक अनुभव रखता हो। 2. कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जव वह योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति है और अर्थशास्त्र, कारवार, वाणिज्य, विधि, विन, लेखाकर्म, प्रवंध, उद्योग, लोक कार्य- कलाप, प्रशासन या किसी अन्य विषय, जो केन्द्रीय मरकार की राय में अपील अधिकरण के लिए उपयोगी है, का विशेष ज्ञान रखता हो और उनका कम से कम वृत्तिक अनुभव रखता हो। 	मरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं – सदम्य आ. सदम्य के		
12. व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) के अधीन अपील बोर्ड	 कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब,- (क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; या (ख) उसने अपील बोर्ड के उपाध्यक्ष का पद तीन वर्ष से अन्यून अवधि के लिए धारण किया है। कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब,- (क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; या (ख) उसने त्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य का पद दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिए धारण किया है और उसने पास वार में व्यवसाय का कम से कम 12 वर्ष के अनुभव या राज्य न्यायिक सेवा में 12 वर्ष के अनुभव के साथ विधि की डिग्री है। कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब,- (क) वह किसी उच्च न्यायालय का 	 (अ). अपील वोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या न्यायिक मदस्य के पद के लिए खोजवीन-मह-चयन ममिति :- (i) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उनका नामनिर्देशिती-अध्यक्ष (ii) मचिव, भारत मरकार औद्योगिक नीति और मंवर्धन विभाग-मदस्य; (iii) मचिव, भारत मरकार, केन्द्रीय मरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला- मदस्य; (iv) दो विशेषज्ञ, केन्द्रीय मरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाले-मदस्य । (आ.) अपील वोर्ड के तकनीकी मदस्य (अ.) अपील वोर्ड के तकनीकी मदस्य (पेटेन्ट) और तकनीकी मदस्य (प्रोतेलिप्याधिकार) के पद के लिए खोजवीन-सह-चयन ममिति :- (i) केन्द्रीय मरकार द्वारा 	र्नान वर्ष	अध्यक्ष- मड़मट वर्ष उपाध्यक्ष- पैंसठ वर्ष सदस्य- पैंस वर्ष

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

				*
6	THE GAZETTE OF IND	DIA : EXTRAORDINARY	[PART II—SEC. 3(i)]	A.
		व्यक्ति-अध्यक्ष;		
	(ख) उसने भारत के राज्यक्षेत्र में किसी	(ii) मचिव, औद्योगिक नीति और		
	न्यायिक अधिकारी का पद कम से कम	मंबर्धन विभाग-सदस्य;		
	10 वर्ष के लिए धारण किया है ।	(iii) सचिव, भारत सरकार,		
	 कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य कि के राज में निगकि के 	केन्द्रीय सरकार द्वारा		
	(व्यापार चिह्न) के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब ,-	नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला-		
	(क) उसने कम से कम 10 वर्ष के लिए	सदस्य;		
	व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999	(iv) दो विशेषज्ञ, केर्न्द्रीय सरकार		
	(1999 का 47) के अधीन किसी	द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने		
	अधिकरण के कृत्यों का निर्वहन किया	वाले-मदस्य ।		
	है और उसने कम से कम 5 वर्ष की			
	अवधि के लिए संयुक्त रजिस्ट्रार से अन्यून पंक्ति का कोई पद धारण किया			
	है और उसके पाम वार में व्यवसाय			
	का कम से कम 12 वर्ष के अनुभव या			
	राज्य न्यायिक सेवा में 12 वर्ष के			
	अनुभव के साथ विधि की डिग्री है ,			
	या			
	(ख) वह कम से कम 10 वर्ष के लिए			
	व्यापार चिह्न विधि में सिद्ध विशिष्ट अनुभव के साथ अधिवक्ता रहा है ।			
	अनुभव के साथ आवत्रकी रहा है। 5. कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य			
	 काइ व्यक्ति संप्रताय राज्य (व्यापार चिहन) के रूप में नियुक्ति के 			
	(व्यापार पिट्न) पर्वे प्रमानितालक लिए तभी अर्हित होगा, जब ,-			
	(क) उसने कम से कम 5 वर्ष के लिए			
	पेटेन्ट अधिनियम, 1970 (1970 का			
	39) के अधीन कोई पद धारण किया			
	है या उसके अधीन नियंत्रक के कृत्यों			
	का निर्वहन किया है; या			
	(ख) उसने कम से कम 10 वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकृत पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में			
	कार्यकरण किया है और उसके पास			
	तन्ममय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन			
	स्थापित विश्वविद्यालय में इंजीनियरी			
	या प्रौद्योगिकी में डिग्री या विज्ञान में			
	माम्टर की डिग्री है । 6. कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य			
) (प्रतिलिप्यधिकार) के रूप में नियुक्ति			
	(प्रातालप्यावकार) के रूप में लियुका के लिए तभी अर्हित होगा, जब			
	(क) वह भारतीय विधिक सेवा क	r		
	सदस्य है या रहा है और उस सेवा वे	5		
	ग्रेड-1 में कम से कम 3 वर्ष के लिए			
	पद धारण कर रहा है या पद धारण िन्म कै गा			
	किया है; या (ख) उसने कम से कम 10 वर्ष के लिए	T		
	(ख) उसने कम से कम 10 वर्ष को लप भारत के राज्यक्षेत्र में कोई न्यायिक	5		
	पद धारण किया है ; या			
	(ग) वह अधिकरण का सदस्य है य	т		
	रहा है या वह भारत सरकार के संयुत्त	न ।		
	मचिव मे अन्यून पक्ति का मिविन	7		
	मेवा का सदस्य है या रहा है]

[भाग]]-खण्ड 3(i)]	भारत का राज	पत्र : असाधारण		17
	प्रतिलिप्यधिकार के क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव सहित; या (घ) प्रतिलिप्यधिकार विधि में सिद्ध विशिष्ट अनुभव के साथ कम से कम 10 वर्ष के लिए अधिवक्ता रहा हैं: परंतु अपील वोर्ड के कम से कम एक सदस्य के पास, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऊपर (क), (ख) और (घ) में दी गई अर्हना होगी।			
13. कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण	 (1). अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है। (2). न्यायिक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या पांच वर्ष से राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का न्यायिक मदस्य है। (3). तकनीकी सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पास सिद्ध योग्यता, ईमानदारी और अनुभव है तथा जिसके पास विधि, औद्योगिक वित्त, औद्योगिक प्रवंध या प्रशासन, औद्योगिक प्रवंध या प्रशासन, औद्योगिक प्रवंध या प्रशासन, लेखाकर्म, या किसी ऐसे अन्य विषय में, जो केन्द्रीय सरकार की राय में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के लिए उपयोगी है, विशेष ज्ञान और कम मे कम पच्चीस वर्ष का वृत्तिक अनुभव है। 	 (अ). अपील अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति भारन के मुख्य न्यायमूर्ति में परामर्श के पश्चात् की जाएगी । (आ). अपील अधिकरण के न्यायिक मदस्य और तकनीकी मदस्य के पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति :- (i) भारन का मुख्य न्यायमूर्ति या उसका नामनिर्देशिती -अध्यक्ष; (ii) उच्चतम न्यायालय का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति - सदस्य; (iii) सचिव, भारत मरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय - मदस्य; (iv) सचिव, भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय -सदस्य । 	र्तान वर्ष	अध्यक्ष-सत्तर वर्ष सदस्य-सड़सठ वर्ष
14. आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण	कोई व्यक्ति निम्नलिखित के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नानुसार अर्हिन होगा- (क) अध्यक्ष, (i) जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; या (ii) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है; या (iii) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है; या (iii) केम से कम 7 वर्ष के लिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति रहा है ; या (iv) कम से कम 3 वर्ष के लिए अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, राजस्व सदस्य या विधि सदस्य रहा है ; या (v) ऐसा व्यक्ति है, जिसके पास सिद्ध योग्यता, ईमानदारी और अनुभव है तथा जिसके पाम अर्थशास्त्र, कारवार,	 (अ). अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए खोजवीन-मह-चयन समिति:- (i) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा यथानामनिर्दिष्ट भारत के उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश- अध्यक्ष; (ii) सचिव, भारत मरकार, (राजस्व विभाग) - मदस्य; (iii) मचिव, भारत मरकार, (राजस्व विभाग) - मदस्य; (iv) मचिव, भारत मरकार, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) - मदस्य । (आ) सदस्य के पद के लिए खोजवीन- मह-चयन समिति:- (i) मचिव, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, मदस्य; 	नीन वर्ष	अध्यक्ष-सत्तर वर्ष उपाध्यक्ष- पैंसठ वर्ष सदस्य-वासठ वर्ष

``

۶

.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

,

18		THE GAZETTE OF INI		[1180.11	
		वाणिज्य, विधि वित्त, लेखाकर्म प्रवंध,	(iii) सचिव, भारत सरकार, राजस्व		
		उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन, कराधान	विभाग-सदस्य;		
		में या किसी ऐसे अन्य विषय में जो	(iv) भारत सरकार के दो सचिव,		
		केन्द्रीय सरकार की राय में अधिकरण			
		के लिए उपयोगी है, विशेष ज्ञान और	केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए		
		कम से कम 25 वर्ष का वृत्तिक अनुभव	जाने वाले-सदस्य ।		
		है।			
		(ख) उपाध्यक्ष, जो किसी उच्च			
		न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है			
		या ऐसा न्यायाधीश होने के लिए			
		अर्हित है।			
		(ग) भारतीय राजस्व सेवा से राजस्व			
		सदम्य, जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर वोर्ड का सदम्य होने के लिए अर्हित है और			
		सदम्य हान के लिए जहित है जार भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय			
		जित्पाद शुल्क सेवा का कोई ऐसा			
		अधिकारी, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क			
		और सीमा शुल्क बोर्ड का सदस्य होने			
		के लिए अर्हिन है ।			
		(घ) भारतीय विधिक मेवा मे विधिक			
		मदम्य, जो भारत सरकार का अपर			
		मचिव है ।		<u> </u>	
15.	चलचित्र	(1). कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप मे	अपील अधिकरण के अध्यक्ष और	तीन वर्ष	अध्यक्ष-
	अधिनियम,	नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा	उपाध्यक्ष के पद के लिए खोजवीन-		सडसठ वर्ष
	1952 (1952	जब,-	मह-चयन समिति:-		
	का 37) के	(क) वह किसी उच्च न्यायालय का	(i) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट		मदम्य-पैंमठ
	अधीन फिल्म	न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा	किया जाने वाला व्यक्ति-अध्यक्ष;		वर्ष
	प्रमाणन अपील	न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; या			
	अधिकरण	(ख) उसने सदस्य के रूप में कम से कम			
		तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण	प्रसारण मंत्रालय-सदस्य;		
		किया है; या	(iii) सचिव, भारत सरकार, केन्द्रीय		
		(ग) वह योग्य, ईमानदार और अनुभवी			
		व्यक्ति है और उसके पाम विधि, प्रवंध,			
		उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन, फिल्मों में			
		या किसी ऐसे अन्य विषय में, जो केन्द्रीय सरकार की राय में अपील			
) कन्द्राय सरकार का राय में जयान अधिकरण के लिए उपयोगी है, विशेष			
) जायपारण का लाए उपपाना ह, पिनेप) ज्ञान और कम से कम 25 वर्ष का			
		वृत्तिक अनुभव है ।			
		(2). केन्द्रीय सरकार ऐसे व्यक्तियों को	-		
		अपील अधिकरण के सदस्य के रूप मे			
		नियुक्त कर सकेगी, जो उसकी राय मे			
		जनता पर फिल्मों के प्रभाव को	ſ		
		समझने के लिए अर्हित है।		नीन वर्ष	अध्यक्ष-मत्तर
16.	उपभोक्ता	(1). कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप मे	i (अ). अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय । सरकार द्वारा भारत के मुख्य	नान वप	अध्यक्ष-मत्तर वर्ष
	संरक्षण 	नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होग	ि सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्		
	अधिनियम,	जव,	and another the		
	1986 (1986	(क) वह उच्चतम न्यायालय क			सदस्य-सत्तर वर्ष
	का 68) के	न्यायाधीश है या रहा है या ऐस	। गन मगन समिति :		44
	अधीन राप्ट्रीय	न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है ; या	(i) कोई व्यक्ति जो उच्चतम		
	उपभोक्ता	(ख) वह किसी उच्च न्यायालय क	ा (¹⁷⁾ सिंह विसिस, सिंह है, जिसे न्यायालय का न्यायाधीश है, जिसे		
1	विवाद	मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है ; या	דימומויזים או דימומויו צ, ושיי		
	ममाधान	134 414 110 6 1 6 6 1 1		1	

.

.

[भाग]]-र	ਭਾਵ 3(i)]	भारत का राजप	त्र : असाधारण		19
आ	योग	(ग) उसने कम से कम तीन वर्ष के लिए	भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा		
		मदस्य या न्यायिक मदस्य का पद	नामनिर्दिष्ट किया जाए—अध्यक्ष ;		
		धारण किया है ; या	(ii) सचिव, भारत सरकार, विधि कार्य		
		(घ) वह योग्य, ईमानदार और	विभाग सदस्य ;		
		अनुभवी व्यक्ति है, जिसके पास	(iii) सचिव, भारत सरकार,		
		अर्थशास्त्र, कारबार, वाणिज्य, विधि,	उपभोक्ना कार्य मत्रालय -सदस्य		
		वित्त, लेखाकर्म, प्रवंध, उद्योग, लोक	(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट		
		कार्य, प्रशासन में या किसी ऐसे अन्य	किए जाने वाले दो विशेषज्ञ –सदस्य ।		
		विषय में, जो केंद्रीय सरकार की राय			
		में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान			
		आयोग के लिए उपयोगी है, विशेष			
		ज्ञान और पच्चीम वर्ष मे अन्यून का			
		वृत्तिक अनुभव है ।			
		(2). कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा			
		जब वह योग्य, ईमानदार और अनुभवी			
		व्यक्ति है, जिसके पास अर्थशास्त्र,			
		कारबार, वाणिज्य, विधि, विन्त,			
		लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य,			
		प्रशासन में या किसी ऐसे अन्य विषय			
		में, जो केंद्रीय सरकार की राय में			
		राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान			
		आयोग के लिए उपयोगी है, विशेष			
		ज्ञान और पच्चीस वर्ष से अन्यून का			
		वृत्तिक अनुभव है :			
		परंतु किमी व्यक्ति को न्यायिक मदस्य के रूप में केवल तभी नियुक्त किया			
		जाएगा जब,			
		(क) वह किमी उच्च न्यायालय का			
		न्यायाधीश है या रहा है या ऐमा			
		न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है ; या			
		(ख) उसने कम से कम दस वर्ष के लिए			
		भारत के राज्यक्षेत्र में कोई न्यायिक			
17. 17	वेद्युत	पद धारण किया है । (1). कोई व्यक्ति अपील अधिकरण के	(अ). अपील अधिकरण के अध्यक्ष और	र्नान वर्ष	अध्यक्ष-सन्तर
1 1	पछुल गधिनियम,	अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए	न्यायिक सदस्य के पद के लिए		वर्ष
1 1	2003 (2003	तभी अर्हित होगा जब,	खोजवीन-सह-चयन समिति :		
म	ना 36) के	(क) वह किसी उच्च न्यायालय का	(i) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या		मदम्य-पैंमठ
1 1	ग्धीन विद्युत चरित	न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा	उनका नामनिर्देशिती – अध्यक्ष ;		वर्ष
	भपील प्रधिकरण	न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है ; या	(ii) मचिव, विद्युत मंत्रालय – सदस्य ;		
		(ख) वह किसी उच्च न्यायालय का सरका जागपति है या रहा है : या	(iii) सचिव, भारत सरकार, केंद्रीय		
		मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है ; या (ग) उसने कम से कम तीन वर्ष की	सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने		
		(ग) उसने कम से कम ताने वर्ष का अवधि के लिए न्यायिक सदस्य या	वाला – मदस्य ;		
		तकनीकी सदस्य का पद धारण किया	(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट		
		है ; या	किए जाने वाले दो विशेषज्ञ –सदस्य ।		
		(घ) वह योग्य, ईमानदार और			
L					-

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

,

अनुभवी व्यक्ति है, जिसके पास (आ). अपील अधिकरण के तकनीकी		
अर्थशास्त्र, कारवार, वाणिज्य, विधि, चियन समिति :		
वित्त, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक (i) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट		
कार्य, प्रशासन में या किसी ऐसे अन्य किए जाने वाला कोई व्यक्ति –		
विषय में, जो केंद्रीय सरकार की राय अध्यक्ष ;		
में अपील अधिकरण के लिए उपयोगी (ii) मचिव, भारत सरकार विद्युत		
है, विशय ज्ञान और पंच्चीस वर्ष स		
अन्यून का वृत्तिक अनुभव है । (2). कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के (iii) सचिव, भारत सरकार, केंद्रीय		
स्प में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने		
होगा जब, वाला – मदस्य ;		
(क) वहु किसी उच्च न्यायालय _् का (iv) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट		
न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा किए जाने वाले दो विशेषज्ञ -सदस्य ।		
न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है ; या (ख) उसने कम से कम दस वर्ष के लिए		
(ख) उसने कम स कम दस वर्ष का लाए भारत के राज्यक्षेत्र में कोई न्यायिक		
पद धारण किया है ।		
(3). कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य के		
रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित		
होगा जव वह योग्य, ईमानदार और		
अनुभवी व्यक्ति है, जिसके पास विद्युत जनन- प्राटेपण- विद्युण- विद्यिप्रम		
जनन, पारेपण, वितरण, विनियमन,		
अर्थशास्त्र, कारवार, वाणिज्य, विधि, विन्त, लेखाकर्म, प्रवंध, उद्योग, लोक		
विन्न, लखाकम, प्रवध, उद्याग, लाक कार्य, प्रशासन में या किसी ऐसे अन्य		
विषय में, जो केंद्रीय सरकार की राय में अपील अधिकरण के लिए उपयोगी		
म अपाल आधकरण कालए उपपाण है, विशेष ज्ञान और पच्चीस वर्ष मे		
अन्यून का वृत्तिक अनुभव है ।		
18. मशस्त्र वल (1). कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में (अ). सशस्त्र वल अधिकरण के अध्यक्ष	नीन वर्ष	अध्यक्ष-सत्तर
अधिनियम, नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा		वर्ष
अविनियम, विद्वार्थ प्र 2007 (2007) जव,- 2007 (2007) जव,- करने के पश्चात् की जाएगी ।		सदस्य-पैंसठ
(4.) DD) के ((4.) यह उच्चराम न्यायाणप नेग (आ) मशस्त्र वल अधिकरण के		सदस्य-पमठ वर्ष
बल अधिकरण न्यायाधांश हे यो रहा है पा एगा उपाध्यक्ष, न्यायिक सदस्य या		
(स) जिसी नजन जागानन का प्रत्य प्रशासनिक सदस्य के पद के लिए		
न्यायमूर्ति है या रहा है। खाजवान-सह-चयन सामात :		
(2). कोई ट्यकित न्यायिक सदस्य के (i) उच्चतम न्यायालय का कोई		
रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित आसीन न्यायाधीश है, जिमे भारत के होगा जब वह किसी उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिप्ट		
का न्यायाधीश है या रहा है । 🛛 किया जाए या भारतीय विधि आयोग		
(3). कोई व्यक्ति प्रशासनिक सदस्य के का अध्यक्ष — अध्यक्ष ;		
रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित 		
होगा जब, (क) उसने कम से कम तीन वर्ष की सदस्य ;		
(क) उसने कम से कम तीने वर्ष की कुल अवधि के लिए सेना में मेजर (iii) भारत सरकार के दो सचिव,		
जनरल या उसमे ऊपर का या नौसेना जिनमें रक्षा सचिव भी होगा -सदस्य ।		
या वायु सेना में समतुल्य रैंक का पद		

[भाग]]-खण्ड 3(i)]	भारत का राज	पत्र : असाधारण		21
	धारण किया है या कर रहा है ; या (ख) उसने सेना या नौसेना या वायु सेना में एक वर्ष से अन्यून अवधि के लिए जज एडवोकेट जनरल के रूप में सेवा की है और वह क्रमश: मेजर जनरल, कोमोडोर और एयर कोमोडोर की पंक्ति से निम्न का नहीं है ; या (ग) वह योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति है, जिसके पास अर्थशास्त्र, कारवार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकर्म, प्रवंध, उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन में या किसी ऐसे अन्य विषय में, जो केंद्रीय सरकार की राय में एएफटी के लिए उपयोगी है, विशेष ज्ञान और वीस वर्ष से अन्यून का			
19. राप्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19)	 वृत्तिक अनुभव है। (1). कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जव, (क) वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; या (क) वह उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है; या (ख) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है ; या (ख) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है ; या (ग) उसने कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए न्यायिक सदस्य या विशेषज्ञ सदस्य के रूप में पद धारण किया है ; या (घ) वह योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति है, जिसके पाम विधि के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और पच्चीम वर्ष मे अन्यून का वृत्तिक अनुभव है, जिसमें पर्यावरण और वन के क्षेत्र में पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव सम्मिलित हो । (2). कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब, (क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या ऐसा न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है ; या (ख) उसने भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम दम वर्ष के लिए कोई न्यायिक पद धारण किया है। (3). कोई व्यक्ति विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब, 	 (अ). राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य के पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति : (i) भारत के मुख्य न्यायसूर्ति या उनका नामनिर्देशिती - अध्यक्ष ; (ii) सचिव, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य ; (iii) सचिव, भारत सरकार, केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिण्ट किए जाने वाला - सदस्य ; (iv) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिण्ट किए जाने वाले दो विशेषज्ञ -सदस्य । (आ). राष्ट्रीय हरित अधिकरण के विशेषज्ञ सदस्य के पद के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति : (i) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिण्ट किए जाने वाला कोई व्यक्ति - अध्यक्ष ; (ii) मचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य ; (iii) सचिव, भारत सरकार, केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिण्ट किए जाने वाला - सदस्य ; (iii) सचिव, भारत सरकार, केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिण्ट किए जाने वाला - सदस्य ; (iv) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिण्ट किए जाने वाले दो विशेषज्ञ -सदस्य । 	नीन वर्ष	अध्यक्ष-मन्त वर्ष मदम्य-महम वर्ष

•

डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री/पीएचडी हो तथा सुमंगत क्षेत्र में वीम वर्ष का अनुभव हो, जिसमें पर्यावरण और वन (जिसके अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण, परिसंकटमय पदार्थ प्रवंध, पर्यावरण	PART II—SEC. 3(i)]
ममाघात निर्धारण, जलवायु परिवर्तन प्रबंध, जैविक विविधता प्रबंध और वन संरक्षण भी है) के क्षेत्र में किसी मुविख्यात राष्ट्रीय स्तर की संस्था में पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव सस्मिलित हो ; या (ख) उसके पाम पच्चीम वर्ष का प्रशासनिक अनुभव है, जिसमें पांच वर्ष का ऐसा अनुभव सम्मिलित हो, जिसके दौरान उसने केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या मुविख्यात राष्ट्रीय या राज्य स्तर की संस्था में पर्यावरण संबंधी मामलों मे संबंधित कार्यवाही की हो ।	

[फा. सं. ए-50050/9/2016-एडी1मी (मीईएसटीएटी) पीटी.]]

उदय सिंह कुमावत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2017

G.S.R. 514(E).—In exercise of the powers conferred by section 184 of the Finance Act. 2017 (7of 2017), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title, commencement and application.—(1) These rules may be called the Tribunal. Appellate Tribunal and other Authorities (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules. 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall apply to the Chairman. Vice-Chairman. Chairperson. Vice- Chairperson. President. Vice- President. Presiding Officer. Accountant Member. Administrative Member. Judicial Member. Expert Member. Law Member. Revenue Member. Technical Member. Member of the Tribunal. Appellate Tribunal or. as the case may be. Authority as specified in column (2) of the Eighth Schedule of the Finance Act. 2017 (7 of 2017).

2. Definitions.-In these rules. unless the context otherwise requires. -

- (a) "Act" means an Act specified in column (3) of the Eighth Schedule of the Finance Act. 2017(7 of 2017):
- (b) "Accountant Member", "Administrative Member", "Judicial Member", "Expert Member", "Law Member", "Revenue Member" or "Technical Member" means the Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member or Technical Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority appointed under the corresponding provisions of the Act:
- (c) "Appellate Tribunal". "Authority" or "Tribunal" has the same meaning as assigned to it in the corresponding provisions of the Act;
- (d) "Chairman" or "Chairperson" or "President" means the Chairman. Chairperson or President of the Tribunal. Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority appointed under the corresponding provisions of the Act:
- (e) "Member" means the Accountant Member. Administrative Member. Judicial Member. Expert Member. Law Member. Revenue Member or Technical Member and includes the Chairman. Vice-Chairman, Chairperson. Vice-

Chairperson. Presiding Officer of the Security Appellate Tribunal. President or. as the case may be. Vice-President;

- (f) "Presiding Officer" means the Presiding Officer of the Security Appellate Tribunal appointed under section 15L of the Securities and Exchange Board of India Act.1992 (15 of 1992). Presiding Officer of the Debt Recovery Tribunal appointed under sub-section (1) of section 4 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act. 1993 (51 of 1993) and Presiding Officer of the Industrial Tribunal appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 7A of the Industrial Disputes Act.1947 (14 of 1947):
- (g) "Search-cum-Selection Committee" means the Search-cum-Selection Committee referred to in rule 4:
- (h) "Vice-Chairman" or "Vice- Chairperson" or "Vice-President" means the Vice-Chairman, the Vice-Chairperson or Vice-President of the Tribunal. Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority:
- (i) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the respective Acts.

3. Qualifications for appointment of Member.—The qualification for appointment of the Chairman. Chairperson. President, Vice-Chairman, Vice- Chairperson, Vice- President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member of the Tribunal. Appellate Tribunal or, as the case may be. Authority shall be such as specified in column (3) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment.—(1) The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice- Chairperson, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority shall be appointed by the Central Government on the recommendation of a Search-cum-Selection Committee specified in column (4) of the said Schedule in respect of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority specified in column (2) of the said Schedule.

(2) The Secretary to the Government of India in the Ministry or Department under which the Tribunal. Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority is constituted or established shall be the convener of the Search-cum -Selection Committee.

(3) The Search-cum-Selection Committee shall determine its procedure for making its recommendation.

(4) No appointment of Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice- Chairperson, Vice- President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member of the Tribunal. Appellate Tribunal or Authorities shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence in the Search-cum-Selection Committee.

(5) Nothing in this rule shall apply to the appointment of Chairman. Chairperson. President. Vice-Chairman. Vice-Chairperson. Vice- President, Presiding Officer. Accountant Member. Administrative Member. Judicial Member. Expert Member, Law Member, Revenue Member. Technical Member or Member of the Tribunal. Appellate Tribunal or. as the case may be, Authority functioning as such immediately before the commencement of these rules.

5. Medical fitness.—No person shall be appointed as the Chairman. Chairperson. President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice- President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member of the Tribunal. Appellate Tribunal or Authority, or a case may be unless he is declared medically fit by an authority specified by the Central Government in this behalf.

6. Resignation by a Member.—A Member may, by writing under his hand addressed to the Central Government, resign his office at any time:

Provided that the Member shall, unless he is permitted by the Central Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of office, whichever is the earliest.

7. Removal of Member from office.—The Central Government may, on the recommendation of a Committee constituted by it in this behalf, remove from office any Member, who—

(a) has been adjudged as an insolvent: or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude: or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as such a Member: or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Member: or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest:

Provided that where a Member is proposed to be removed on any ground specified in clauses (b) to (e), the Member shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges:

Provided further that the Chairperson or member of the National Company Appellate Tribunal shall be removed from office in consultation with the Chief Justice of India.

8. Procedure for inquiry of misbehavior or incapacity of the Member .----

(1) If a written complaint is received by the Central Government, alleging any definite charge of misbehavior or incapacity to perform the functions of the office in respect of a Chairman. Vice-Chairman, Chairperson, Vice-Chairperson, President, President, President, President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member, the Ministry or Department of the Government of India under which the Tribunal. Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority is constituted or established, shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(2) If on preliminary scrutiny, the Ministry or Department of the Government of India under which the Tribunal. Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority is constituted or established, is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any misbehavior or incapacity of a Chairman. Vice-Chairman, Chairperson, Vice-Chairperson, President, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member, it shall make a reference to the Committee constituted under rule 7 to conduct the inquiry.

(3) The Committee shall complete the inquiry within such time or such further time as may be specified by the Central Government.

(4) After the conclusion of the inquiry, the Committee shall submit its report to the Central Government stating therein its findings and the reasons therefor on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit.

(5) The Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure.1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.

9. Term of office of Member.—Save as otherwise provided in these rules, the Chairman. Chairperson. President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or, as the case may be, Member shall hold office for a term as specified in column (5) of the said Schedule and shall hold the office up to such age as specified in column (6) in the said Schedule from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for reappointment.

10. Casual vacancy.---(1) In case of a casual vacancy in the office of.---

(a) the Chairman. Chairperson. President, or Presiding Officer of the Security Appellate Tribunal, the Central Government shall have the power to appoint the senior most Vice-Chairperson or Vice-Chairman. Vice-President or in his absence, one of the Accountant Member. Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member, or Member of the Tribunal. Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority to officiate as Chairperson, Chairman, President or Presiding Officer.

(b) the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal, the Central Government shall have power to appoint the Chairperson of another Debts Recovery Appellate Tribunal to officiate as Chairperson and in case of a casual vacancy in the office of the Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal, the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal shall have power to appoint the Presiding Officer of another Debts Recovery Appellate Tribunal officiate as Presiding Officer.

11. Salary and allowances.—(1) The Chairman. Chairperson or President of the Tribunal. Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority or the Presiding Officer of the Security Appellate Tribunal shall be paid a salary of Rs. 2.50.000 (fixed) and other allowances and benefits as are admissible to a Central Government officer holding posts carrying the same pay.

(2) The Vice-Chairman, Vice-Chairperson. Vice-President. Accountant Member. Administrative Member. Judicial Member. Expert Member. Law Member, Revenue Member. Technical Member or, as the case may be, Member shall be paid a salary of Rs. 2.25,000 and shall be entitled to draw allowances as are admissible to a Government of India Officer holding Group 'A' post carrying the same pay.

(3) A Presiding Officer of the Debt Recovery Tribunal or a Presiding Officer of the Industrial Tribunal constituted by the Central Government shall be paid a salary of Rs.1.44.200 - 2.18.200 and shall be entitled to draw allowances as are admissible to a Government of India officer holding Group 'A' post carrying the same pay.

(4) In case of a person appointed as the Chairman. Chairperson. President, Vice-Chairman, Vice- Chairperson, Vice President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law

Member, Revenue Member. Technical Member or Member, as the case may be, is in receipt of any pension, the pay of such person shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

12. Pension, Gratuity and Provident Fund.—(1) In case of a serving Judge of the Supreme Court. a High Court or a serving Judicial Member of the Tribunal or a member of the Indian Legal Service or a member of an organised Service appointed to the post of the Chairperson, Chairman. President or Presiding Officer of the Security Appellate Tribunal . the service rendered in the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be. Authority shall count for pension to be drawn in accordance with the rules of the service to which he belongs and he shall be governed by the provisions of the General Provident Fund (Central Services) Rules. 1960 and the Contribution Pension System.

(2) In all other cases, the Accountant Member. Administrative Member. Judicial Member. Expert Member. Law Member. Revenue Member, Technical Member or Member shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund (India) Rules, 1962 and the Contribution Pension System.

(3) Additional pension and gratuity shall not be admissible for service rendered in the Tribunal. Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority.

13 Leave.—(1) The Chairman. Chairperson. President. Vice-Chairman. Vice- Chairperson. Vice President. Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member. Technical Member, Presiding Officer or a Member shall be entitled to thirty days of earned Leave for every year of service.

(2) Casual Leave not exceeding eight days may be granted to the Chairman. Chairperson. President. Vice-Chairman. Vice-Chairperson, Vice President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member. Revenue Member or Technical Member, Presiding Officer or a Member in a calendar year.

(3) The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules. 1972.

(4) The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson. Vice President. Presiding Officer. Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member. Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member shall be entitled to encashment of leave in respect of the earned Leave standing to his credit, subject to the condition that maximum leave encashment, including the amount received at the time of retirement from previous service shall not in any case exceed the prescribed limit under the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972.

14. Leave sanctioning authority.--(1) Leave sanctioning authority.--

(a) for the Vice-Chairman. Vice-Chairperson. Vice-President. Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal and Industrial Tribunal, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member shall be Chairman. Chairperson or as the case may be. President; and

(b) for the Chairman. Chairperson. Presiding Officer of Security Appellate Tribunal or President. shall be the Central Government, who shall also be sanctioning authority for Accountant Member. Administrative Member. Judicial Member. Expert Member or Member in case of absence of Chairman. Chairperson. Presiding Officer of Security Appellate Tribunal or President.

(2) The Central Government shall be the sanctioning authority for foreign travel to the Chairman. Chairperson. President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson. Vice-President. Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member. Expert Member, Technical Member, Presiding Officer or a Member.

15. House rent allowance.—The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice- Chairperson, Vice President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member or Member shall be entitled to house rent allowance at the same rate as are admissible to Group 'A' Officer of the Government of India of a corresponding status.

16.Transport allowance.—The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member, Presiding Officer or Member shall be entitled to the facility of staff car for journeys for official and private purposes in accordance with the facilities as are admissible to Group 'A' Officer of the Government of India of a corresponding status as per the provisions of Staff Car Rules.

17. Declaration of Financial and other Interests.—The Chairman, Chairperson, President, Vice-Chairman, Vice-Chairperson, Vice-President, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Technical Member, Presiding Officer or Member shall, before entering upon his office, declare his assets, and his liabilities and financial and other interests.

18. Other conditions of service.—(1) The terms and conditions of service of a Chairman. Chairperson. President. Vice-Chairman, Vice- Chairperson, Vice- President. Accountant Member. Administrative Member, Judicial Member. Expert Member. Technical Member, Presiding Officer or Member with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are admissible to a Group 'A' Officer of the Government of India of a corresponding status.

(2) The Chairman. Chairperson, President, Vice-Chairman. Vice- Chairperson. Vice- President. Administrative Member. Judicial Member. Expert Member, Technical Member. Presiding Officer or Member shall not practice before the Tribunal. Appellate Tribunal or Authority after retirement from the service of that Tribunal. Appellate Tribunal or, as the case may be. Authority.

(3) The Chairman. Chairperson. President, Vice-Chairman. Vice- Chairperson. Vice- President. Accountant Member. Administrative Member. Judicial Member. Expert Member. Technical Member. Presiding Officer or Member shall not undertake any arbitration work while functioning in these capacities in the Tribunal. Appellate Tribunal or Authority.

(4) The Chairman. Chairperson, President. Vice-Chairman, Vice- Chairperson, Vice- President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member or Member of the Tribunal. Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority shall not, for a period of two years from the date on which they cease to hold office, accept any employment in, or connected with the management or administration of, any person who has been a party to a proceeding before the Tribunal. Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority:

Provided that nothing contained in this rule shall apply to any employment under the Central Government or a State Government or a local authority or in any statutory authority or any corporation established by or under any Central. State or Provincial Act or a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

19. Oaths of office and secrecy.—Every person appointed to be the Chairman. Chairperson. President. Vice-Chairman. Vice- Chairperson. Vice-President. Accountant Member. Administrative Member. Judicial Member. Expert Member. Technical Member, Presiding Officer or Member shall, before entering upon his office. make and subscribe an oath of office and secrecy in Forms I and II annexed to these rules.

20. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

21. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these rules, the decision of the Central Government thereon shall be final.

22. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes. Scheduled Tribes. Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

FORM I

(See rule 19)

Form of Oath of Office for Chairman/Vice-Chairman/ Chairperson/ Vice-Chairperson/ President/Vice-President/ Presiding Officer/Administrative Member/Judicial Member/ Expert Member/Law Member/Revenue Member/Technical Member. /Member of the (Name of the Tribunal/Appellate Tribunal/Authority)

I. A. B., having been appointed as Chairman/Vice-Chairman/ Chairperson/ Vice-Chairperson/ President/Vice-President/ Presiding Officer/ Accountant Member/ Administrative Member. Judicial Member/ Expert Member / Law Member/ Revenue Member/ Technical Member/ Member of the (Name of the Tribunal Appellate Tribunal/Authority

do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Chairman/Vice-Chairman/ Chairperson/ Vice-Chairperson/ President/Vice-President/ Presiding Officer/ Accountant Member/ Administrative Member/ Judicial Member/ Expert Member / Law Member/ Revenue Member/ Technical Member/ Member (Name of the Tribunal/Appellate Tribunal/Authority) to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of land.

FORM II

(See rule 19)

Form of Oath of Secrecy for Chairman/Vice-Chairman/ Chairperson/ Vice-Chairperson/ President/Vice-President/ Presiding Officer / Accountant Member/ Administrative Member/ Judicial Member/ Expert Member / Law Member/ Revenue Member/ Technical Member /Member of the (Name of Tribunal/Appellate Tribunal/Authority

I. A. B., having been appointed as the Chairman/Vice-Chairman/ Chairperson/ Vice-Chairperson/ President/Vice-President/ Presiding Officer/Member of the(Name of Tribunal/Appellate Tribunal Authority). do solemnly affirm do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chairman/Vice-Chairman/ Chairperson/ Vice-Chairperson/ President/Vice-President/ Presiding Officer / Accountant Member/ Administrative Member, Judicial Member/ Expert Member / Law Member/ Revenue Member/ Technical Member / Member of the said (Name of Tribunal Appellate Tribunal/Authority) except as may be required for the due discharge of my duties as the Chairman/Vice-Chairperson/ Vice-Chairperson/ President/Vice-President/President/Vice-President/President/President/Vice-President/President/President/Vice-President/President/President/Vice-President/Preside

[भाग II-खण्ड 3(i)]

١

¥

		SCHEDU	LE		
SI. No.	Name of Tribunal, Appellate Tribunal or Authority.	Qualification for appoint- ment of Chairperson, Chairman, President, Vice- Chairperson, Vice- Chairman, Vice-President, Presiding Officer, Accoun- tant Member, Adminis- trative Member, Judicial Member, Expert Member or Technical Member or Member.	Composition of Search- cum- Selection Committee	Term of Office	Maximum age for holding Office (in years)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Industrial Tribunal constituted by the Central Government under the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947)	A person shall not be qualified for appointment as Presiding Officer. unless he (a) is. or has been. or is qualified to be. a Judge of a High Court: or (b) he has. for a period of not less than three-years. been a District Judge or an Additional District Judge: or	Search-cum-Selection- Committee for the post of the Presiding Officer (i) a person to be nominated by the Central Government- chairperson: (ii) Secretary to the Government of India. Ministry of Labour and Employment- member:	Three Years	Presiding Officer- Sixty- five years of age
		(c) is a person of ability. integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty years in economics. business. commerce, law, finance, management, industry, public affairs, administration, labour relations, industrial disputes or any other matter which in the opinion of the Central Government is useful to the Industrial Tribunal.	 (iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government-member: (iv) two experts to be nominated by the Central Government- members. 		
2.	Income-tax Appellate Tribunal under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)		 President and Vice-President (i) a sitting Judge of Supreme Court to be nominated by the Chief Justice of India- chairperson: (ii) the President. Income-tax Appellate Tribunal-member: and (iii) the Secretary to the Government of India. Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs)- member. (B) Search-cum-Selection Committee for the Accoun- 		President- Sixty-five years Vice- President- Sixty-two years Member- Sixty-two years

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC.	3(i)]
---------------	-------

_					
		 held a judicial office in the territory of India: or (b) he has been a member of the Indian Legal Service and has held a post in Grade II of the Service or any equivalent or higher post for at least three years; or (c) he has been an advocate for at least ten years; (4) A person shall not be 	 (i) a nominee of the Minister of Law and Justice- chairperson: (ii) Secretary to the Government of India. Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs)- member; (iii) President of the Income- tax Appellate Tribunal – member: and 		
		 qualified for appointment as an Accountant Member. unless. — (i) he has for at least ten years been in the practice of accountancy, - 	(iv) such other persons, if any, not exceeding two, as the Minister of Law and Justice may appoint-member.		
		(a) as a chartered accountant under the Chartered Accountants Act. 1949 (38 of 1949): or			
		(b) as a registered accountant under any law formerly in force: or partly as such registered accountant and partly as a chartered accountant: or			
		(ii) he has been a member of the Indian Revenue Service (Income-tax Service Group 'A') and has held the post of Additional Commissioner of Income-tax or any equivalent or higher post for at least three years.			
3.	The Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal under the Customs	 A person shall not be qualified for appointment as President unless, - 	(A) Search-cum- Selection Committee for the post of President	Three Years	President – Sixty-seven years
	under the Customs Act. 1962 (52of 1962)	(a) he is or has been a Judge of a High Court: or(b) he is the member of the	(i) Chief Justice of India or a Judge of the Supreme Court of India as nominated by the		Member- Sixty-two years
		Appellate Tribunal. (2) A person shall not be qualified for appointment as a Judicial Member. unless, -	Chief Justice of India as chairperson: (ii) Secretary to the Government of India. Department of Revenue		
		 (a) he has for at least ten years held a judicial office in the territory of India: or (b) he has been a member of the Indian Legal Service and has held a post in Grade-I of that Service or any equivalent or higher post for at least three years: or (c) he has been an advocate for at least ten years. 	Department of Revenue- member: (iii) Secretary to the Government of India. Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs)- member: (iv) Secretary to the Government of India. Department of Personnel and Training-member. (B) Search- cum- Selection		

[भाग]]]—खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : 3	नसाधारण		29
		(3) A person shall not be qualified for appointment as a Technical Member unless he has been a member of the Indian Revenue Service (Customs and Central Excise Service Group 'A') and has held the post of Commissioner of Customs or Central Excise or any equivalent or higher post for at least three years.	Committee for post of Judicial Member (i) a Judge of the Supreme Court as nominated by the Chief Justice of India- chairperson: (ii) Secretary to the Government of India. Ministry of Finance (Department of Revenue)- member:		
			 (iii) Secretary to the Government of India. Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs) -member: (iv) President of the 		
			Customs. Excise and Service Tax Appellate Tribunal-member: and		
			 (v) such other persons. not exceeding two. as the Central Government may nominate- member; 		
			(C). Search-cum-Selection Committee for the post of Technical member		
			(i) Cabinet Secretary to the Government of India – chairperson:		
			 (ii) Secretary to the Government of India. Ministry of Finance (Department of Revenue)- member: 		
			(iii) Secretary to the Government of India. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) – member:		
			 (iv) Secretary to the Government of India. Ministry of Law (Department of Legal Affairs) – member. 		
4.	Appellate Tribunal under the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act. 1976 (13 of 1976)	qualified to be a Judge of a Supreme Court or a Judge of a High Court.(2) The Member of the Appellate Tribunal shall be a	 (A) Search-cum- Selection Committee for the post of Chairman (i) Chief Justice of India or a Judge of the Supreme Court of India as nominated by the Chief Justice of India – chairperson; 	Three Years	Chair- person Sixty-five years Member Sixty-two years
		person not below the rank of Joint Secretary to the Government of India.			

Ŧ

.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—Sec. 3(i)]

1

•

				[17.107.11	-3EC. 3(1)]
			(iii) Secretary to the Government of India. Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs)- member:		
			(iv) Secretary to the Government of India. Department of Personnel and Training- member.		
			(B) Search-cum-Selection Committee for the post of Member		
			(i) Cabinet Secretary – chairperson:		
			(ii) Secretary to the Government of India. Department of Personnel and Training- member:		
			(iii) Secretary to theGovernment of India(Department of Revenue)member:		
			(iv) two Secretaries to the Government of India to be nominated by the Central Government - members.		
5.	Central Administrative Tribunal under the Administrative Tribunal Act. 1985	 (1) A person shall not be qualified for appointment as the Chairman. unless he. – (a) is. or has been. or is 	(A) Search-cum-Selection Committee for the post of Chairman and Judicial Member. –	Three Years	Chairman Sixty-eight years
	(13 of 1985).	qualified to be. a Judge of a High Court: or	(i) Chief Justice of India or his nominee- chairperson:		Member - Sixty-five
		(b) has for a period of not less than three years held office as Administrative	 (ii) Chairman of the Central Administrative Tribunal. Principal Bench – member: 		years
		Member or Judicial Member in the Central Administrative Tribunal:	(iii) Secretary to the Government of India. (Department of Personnel and Training)- member:		
		(c) is a person of ability. integrity and standing. and having special knowledge of. and professional experience of not less than twenty years in economics. business.	 (iv) Secretary to the Government of India. Ministry of Law and Justice -member: (e) one expert, to be 		
		commerce. law, finance, accountancy, management, industry, public affairs or administration, or any other	nominated by the Central Government of India- member.		
		matter which in the opinion of the Central Government is useful to the Central	(B) Search-cum-Selection Committee for the post of Administrative Member. –		
		Administrative Tribunal. (2). A person shall not be qualified for appointment. —	 (a) a person to be nominated by the Central Government chairperson: 		
		(a) as a Judicial Member.unless he(i) is. or has been. or is	(b) Chairman of the. Central Administrative Tribunal – member;		

	ग II-खण्ड 3(i)]	[भाग]]
qual High(ii) held the O Dep or th inche Law(iii) held Secr of I Leg Dep(iv) held terri(b) Mer(i) held terri(b) Mer(i) held terri(b) Mer(ii) held terri(b) Mer(iii) held sec of gov scal that the leas(iii) held Sec of und Gov scal that the leas(iii) held Sec of of p that the leasbeld serv Cerr pos held case spo pro to to Add case spe afte	<u>т II-खण्ड 3(i)]</u>	[भाग]]

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—Sec. 3(i)]

		THE GAZETTE OF INDIA		I	-SEC. 3(1)]
6.	Railway Claims Tribunal under the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987)	 (1) A person shall not be qualified for appointment as the Chairman, unless he. – (a) is, or has been, or is qualified to be a Judge of a High Court: or (b) has, for a period of not less than three years. held office as Vice-Chairman, Judicial Member or Technical Member, as the case may be: or (c) is a person of ability. integrity and standing. and having a special knowledge of. and professional experience of not less than twenty-five years in claims and commercial matters relating to railways. (2) A person shall not be qualified for appointment as the Vice-Chairman (Judicial). unless he, – (a) is. or has been. or is qualified to be, a Judge of a High Court: or (b) has been a member of the Indian Legal Service and has held a post in Grade I of that Service or any higher post for at least five years: or (c) has, for at least five years. held a civil judicial post carrying a scale of pay which is not less than that of a Joint Secretary to the Government of India: or (d) has, for a period of not less than three years. held office as a Judicial Member. (3) A person shall not be qualified for appointment as the Vice-Chairman (Technical). unless he, – (a) has, for a period of not less than three years. held office as a Judicial Member. (b) has, for a period of not less than three years. held office as a Judicial Member. (b) has, for a period of not less than three years. held office as a Judicial Member. (c) has, for a period of not less than three years. held office as a Judicial Member. 	 (A) Selection Committee consisting for the post of the Chairman. Vice-Chairman (Judicial) or Member (Judicial): - (i) Chief Justice of India or his nominee- chairperson: (ii) Chairman or Member (Traffic) of the Railway Board- member: (iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government- member: (iv) two experts who should have knowledge and experience of Claims and Commercial matters pertaining to Railways to be nominated by the Central Government- members. (B) Search-cum-Selection Committee for the post of the Vice-Chairman (Technical) or Member (Technical) (i) a person to be nominated by the Central Government- disrperson; (ii) Chairman or Member (Traffic) of the Railway Board- member: (iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government- chairperson; (ii) Chairman or Member (Traffic) of the Railway Board- member: (iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government of India to be nominated by the Central Government of India to be nominated by the Central Government of India to be nominated by the Central Government - member; (iv) two experts with knowledge and experience of Claims and Commercial matters relating to Railways to be nominated by the Central Government - members. 	Three Years	Chairman- Sixty-seven years Vice- Chairman- Sixty-five years Member – Sixty-two years

۲

,

[भाग	ll-खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र :	असाधारण		
		(4) A person shall not be qualified for appointment as a Judicial Member. unless he, –			
		 (a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court; 			
		(b) has, for at least ten years. held a judicial office in the territory of India.			
		(5) A person shall not be qualified for appointment as a Technical Member unless he is a person of ability. integrity and standing having special knowledge of rules and procedure of, and experience in, claims and commercial matters relating to railways of not less than twenty years.			
7.	Securities Appellate Tribunal under the Securities Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992)	(1) A person shall not be qualified for appointment as the Presiding Officer or a Judicial Member or a Technical Member of the Securities Appellate Tribunal. unless he. —	(A) The Presiding Officer and Judicial Member of the Tribunal shall be appointed by the Central Government in consultation with the Chief Justice of India or his nominee.	Three Years	Presidi Officer Sevent years Membe Sixty-s
		(a) in the case of the Presiding Officer. is, or has been, a Judge of the Supreme Court or a Chief Justice of a High Court or a Judge of a High Court for at least seven years:	 (B) Search-cum-Selection Committee for the post of Technical Member. – (i) Presiding Officer. Securities Appellate Tribunal– chairperson: 		years
		(b) in the case of a Judicial Member, is. or has been, a Judge of a High Court for at least five years; or	(ii) Secretary to the Government of India (Department of Economic Affairs) – member;		
		 (c) in the case of a Technical Member, — (i) is, or has been, an Additional Secretary or Secretary in the Ministry or Department of the Central Government or any equivalent post in the Central Government or a State Government; or 	 (iii) Secretary to the Government of India. (Department of Financial Services) – member: and (iv) Secretary to the Government of India. in the Legislative Department or Department of Legal Affairs –member. 		
		(ii) is a person of proven ability, integrity and standing having special knowledge and professional experience, of not less than fifteen years, in financial sectors including securities market or pension funds or commodity derivatives or insurance.			
		(2) A Member or Part time Member of the Board or the Insurance Regulatory and			

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

,

٢

.

		THE GAZETTE OF INDIA		[173(17	1 - SEC. 3(1)
		Development Authority or the Pension Fund Regulatory and Development Authority, or any person at senior management level equivalent to Executive Director in the Board or in such Authorities. shall not be appointed as Presiding Officer or Member of the Securities Appellate Tribunal, during his service or tenure as such with the Board or with such Authorities, as the case may be, or within two years from the date on which he ceases to hold office as such in the Board or in such Authorities. (3) The Presiding Officer or Member of the Securities Appellate tribunal shall be a person who does not have any			
8.	Debts Recovery Tribunal under the Recovery of Debts Due to Banks and	financial or other interest as are likely to prejudicial affect their functions as such Presiding Officer or Member. A person shall not be qualified for appointment as Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal. unless he.—	Search-cum-Selection Committee for the post of Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal,—	Three Years	Presiding Officer – Sixty-five years
	Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993)	 (a) is. or has been, or is qualified to be, a District Judge; or (b) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty years in economics. business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration, banking, debt recovery or any other matter, which in the opinion of the Central Government is useful to the Debt Recovery Tribunal. 	 (i) Chief Justice of India or his nominee-chairperson: (ii) Secretary to the Government of India. Ministry of Finance (Department of Economic Affairs)- member: (iii) Secretary to the Government of India. Ministry of Law and Justice- member: (iv) Governor of the Reserve Bank or the Deputy Governor of the Reserve Bank of India nominated by the Governor of the Reserve Bank of India- member: and (v)Secretary to the Government of India or Additional Secretary to the Government of India 		
9.	Debts Recovery Appellate Tribunal under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial	A person shall not be qualified for appointment as Chairperson. unless he. —	Ministry of Finance. (Department of Financial Services)- member. Search-cum-Selection Committee for the Chair- person of the Debts Recovery Appellate Tribunal.—	Three Years	Chairperson- Seventy years

भाग	II-खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : 3	स्माधारण		35
	Institutions Act. 1993 (51 of 1993)	 (a) is. or has been. or is qualified to be. a Judge of a High Court: or (b) has been a member of the Indian Legal Service and has held a post in Grade 1 of that service: or (c) has held office as the Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal for at least three years. 	 (i) Chief Justice of India or his nominee- chairperson: (ii) Secretary to the Government of India. Ministry of Finance (Department of Economic Affairs)- member: (iii) Secretary to the Government of India. Ministry of Law and Justice- member: (iv) Governor of the Reserve Bank or the Deputy Governor of the Reserve Bank of India nominated by the Governor of the Reserve Bank of India - member: and (v) Secretary to the Government of India or Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Finance. (Department of Financial 		
10.	Airport Appellate Tribunal under the Airport Authority of India Act. 1994(55 of 1994)	A person shall not be eligible for appointment as Chairperson. unless he.— (a) is, or has been, or is qualified to be. a judge of a High Court: or (b) is a person of ability. integrity and standing, and having special knowledge of. and professional experience of not less than twenty-five years in economics. business. commerce, law, finance. accountancy, management industry, public affairs. administration or any other matter which in the opinion of the Central Government. is useful to the Appellate Tribunal.	Services)-member. Search-cum-Selection Committee for the post of Chairperson of Airport Appellate Tribunal.— (i) a person to be nominated by the Central Government- chairperson: (ii) Secretary to the Govern- ment of India. Ministry of Civil Aviation-member: (iii) Secretary to the Govern- ment of India to be nominated by the Central Government- member: (iv) two experts. to be nomi- nated by the Central Govern-	Three Years	Chairpers n-Sixty-tw years
11.	Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal under the Telecom Regulatory Authority of India Act. 1997 (24 of 1997)	 A person shall not be qualified for appointment as Chairperson, unless he.— (a) is, or has been, or is qualified to be a Judge of 	Committee for the post of the Chairperson. — (i) Chief Justice of India or his nominee-chairperson: (ii) Secretary to the Govern- ment of India. (Department of Telecommunications) - member: (iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government - member;		Chairperso Seventy y Member Sixty-fiv years

36		THE GAZETTE OF INDIA	A : EXTRAORDINARY	[Part I	I—SEC. 3(i)]
		not less than twenty-five years in economics. business. commerce, law. finance, accountancy, management, industry, public affairs. administration, telecommunications or any other matter which in opinion of the Central Government is useful to the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal. (2) A person shall not be qualified for appointment as Member unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of, and professional experience of, not less than twenty years in economics, business. commerce. law. finance. accountancy. management. industry, public affairs. administration. telecommunications or any other matter which in opinion of the Central Government is useful to the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal.	nominated by the Central Government – members. (B) Search-cum-Selection Committee for the post of Member. — (i) a person to be nominated by the Central Government-		
12.	Appellate Board under the Trade Marks Act. 1999 (47 of 1999)	 A person shall not be qualified for appointment as Chairman. unless he (a) is. or has been. or is qualified to be. a Judge of High Court: or (b) has. for a period of not less than three years. held office as Vice- Chairperson of the Appellate Board. (2) A person shall not be qualified for appointment as Vice-Chairman. unless he (a) is, or has been. or is qualified to be, a Judge of High Court: or (b) has. for at least two years, held the office of Judicial Member, and has a degree in law with at least 12 years of practice at bar or 12 years' experience in a State Judicial Service. (3) A person shall not be qualified for appointment as 	 (A) Search-cum-Selection for the post of the Chairman. Vice-Chairman or Judicial Member of the Appellate Board (i) Chief Justice of India or his nominee- chairperson: (ii) Secretary to the Government of Industrial Policy and Promotion) - member: (iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government-member: (iv) two experts. to be nominated by the Central Government-members. (B) Search-cum-Selection Committee for the post of Technical Member (Trade mark). Technical Member (Patent) and Technical Member (Copyright) of the Appellate Board.— (i) a person to be nominated by the Central Government - 	Three Years	Chairman- Sixty-seven years Vice- Chairman - Sixty-five years Member – Sixty-five years

Y

c

7	[भाग II-खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र :	असाधारण	37
		Judicial Member, unless he	chairperson:	
	[भाग II-खण्ड 3(i)]		chairperson: (ii) Secretary to the Government of India. (Department of Industrial Promotion and Policy) -member: (iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government - member: (ix) two experts. to be nominated by the Central Government - members.	
		degree in science from any University established under law for the time being in force (6) A person shall not be qualified for appointment a Technical Member (Copyright). unless he. –	r e. s	
		 (a) is, or has been a member of the Indian Legal Service and holding, or has held a post if Grade I of that Service for a least three years; or (b) has, for at least ten year 	is n at	
		 (c) hay judicial office in the territory of India: or (c) is, or has been a member of a Tribunal or Civil Service not se	of	

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

				L	-SEC. 3(1)]
		below the rank of a Joint Secretary to the Government of India with three years' experience in the field of Copyright: or (d) has, for at least ten years, been an advocate of a proven specialized experience in Copyright Law: Provided that at least one			
		member of the Appellate Board for purposes of the Copyright Act shall have qualification as in (a). (b) or (d) above.			
13.	National Company Law Appellate Tribunal under the Companies Act. 2013 (18 of 2013).	(1) The Chairperson shall be a person who is or has been a Judge of the Supreme Court or the Chief Justice of a High Court.	(A) The Chairperson of the Appellate Tribunal shall be appointed after consultation with the Chief Justice of India.	Three Years	Chair- Person- Seventy years
		(2) A Judicial Member shall be a person who is or has been a Judge of a High Court or is a Judicial Member of the National Company Law Tribunal for five years.	 (B) Search-cum-Selection Committee for the post of the Judicial Member and Technical Member of the Appellate Tribunal (i) Chief Justice of India or 		Member – Sixty- seven years
		(3) A Technical Member shall be a person of proven ability. integrity and standing having special knowledge and professional experience. of not less than twenty-five years. in law. industrial finance, industrial management or administration, industrial reconstruction, investment,	his nominee -chairperson: (ii) a senior Judge of the Supreme Court or a Chief Justice of a High Court- member: (iii) Secretary to the Government of India. Ministry of Corporate Affairs- member:		-
		accountancy or any other matter which in the opinion of the Central Government is useful to the National Company Law Appellate Tribunal.	(iv)Secretary to the Government of India. Ministry of Law and Justice- member.		
14.	Authority for Advance Ruling under the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961)	A person shall be qualified for appointment as.— (a) Chairman. who:— (i) is. or has been. or is qualified to be. a Judge of the Supreme Court: or (ii) is or has been a Chief Justice of a High Court; or	 (A) Search-cum Selection Committee for the post of Chairman and Vice- Chairman (i) Chief Justice of India or a Judge of the Supreme Court of India as nominated by the Chief Justice of India - chairperson: 	Three Years	Chairman- Seventy years Vice- Chairman- Sixty-five years Member –
		 (iii) has, for at least seven years, been a Judge of a High Court; or (iv) has, for at least three years, been a Vice-Chairman, Revenue Member or Law Member of the Authority for Advance Ruling: or 	 (ii) Secretary to the Government of India (Department of Revenue) -member: (iii) Secretary to the Government of India (Department of Legal Affairs) - member: 		Sixty-two years.

38

ر

•

[भाग	II-खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : २	असाधारण		
		 (v) is a person of ability. integrity and standing. and having special knowledge of. and professional experience of not less than twenty-five years in economics, business, commerce, law, finance. accountancy, management, industry, public affairs. administration, taxation or any other matter which in the opinion of the Central Government is useful to the Authority. (b) Vice-chairman, who is, or has been, or is qualified to be. a Judge of a High Court: (c) Revenue Member from the Indian Revenue Service who is qualified to be a Member of the Central Board of Direct Taxes Board and an officer of the Indian Customs and Central Excise Service, who is qualified to be a Member of the Central Board of Excise and Customs; (d) Law Member from the Indian Legal Service, who is an Additional Secretary to the 	 (iv) Secretary to the Government of India (Department of Personnel and Training) -member. (B) Search-cum-Selection Committee for the post of Member (i) Cabinet Secretary – chairperson: (ii) Secretary to the Government of India. (Department of Personnel and Training) - member: (iii) Secretary to the Government of India. (Department of Revenue) - member: (iv) two Secretaries to the Government of India to be nominated by the Central Government - members. 		
15.	Film Certification Appellate Tribunal under the Cinematograph Act. 1952 (37 of 1952)	 Government of India. (1) A person shall not be qualified for appointment as Chairman, unless he (a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court: or (b) has, for a period of not less than three years. held office as member; or (c) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty-five years in, law, management, industry, public affairs, administration, films or any other matter which in the opinion of the Central Government, is useful to the Appellate Tribunal. (2) The Central Government may appoint such persons, who, in its opinion, or qualified to judge the effect of films on the public, to be a member of the Appellate Tribunal. 	Committee for post of the Chairman and member of the Appellate Tribunal. — (i) a person to be nominated by the Central Government- chairperson: (ii) Secretary to the Government of India. Ministry of Information and Broadcasting-member: (iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government-member: (iv) two experts to be nominated by the Central Government-members.	Three Years	Chairman - Sixty-sever years Member - Sixty-five years

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

16. National Consumer (1) A person shall not be (A) The President shall be Three President -Disputes Redressal qualified for appointment as appointed by the Central Years Seventy Commission under the President, unless he. -Government after years Consumer Protection consultation with the Chief (a) is, or has been, or is Act. 1986 (68 of 1986) Justice of India. qualified to be, a Judge of the Member-Supreme Court: or (B) Search-cum-Selection Seventv Committee for the post of vears (b) is. or has been. Chief member. -Justice of a High Court: or (i) a person who is a Judge of (c) has, for a period not less the Supreme Court. to be than three years, held office of nominated by the Chief Member or Judicial Member: Justice of India -chairperson: or (ii) Secretary to the (d) is a person of ability. Government of India. integrity and standing, and Ministry of Law and Justice having special knowledge of. (Department of Legal Affairs) and professional experience of - member: not less than twenty-five years in economics, business, commerce, law, finance. (iii) Secretary to the Government of India. accountancy, management, Ministry of Consumer Affairs industry. public affairs. - member: administration or any other (iv) two experts to be nominated by the Central matter which in the opinion of the Central Government. is Government - members. useful to the National Consumer Disputes Redressal Commission. (2) A person shall not be qualified for appointment as Member unless he is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of. and professional experience of not less than twenty years in economics. business. commerce. law finance. accountancy. management. industry, public affairs. administration or any other matter which in the opinion of the Central Government, is useful to the National Consumer Disputes Redressal Commission: Provided that a person shall not be appointed as a Judicial Member. unless he. -(a) is. or has been. or is qualified to be. a Judge of a High Court; (b) has, for at least ten years. held a Judicial office in the territory of India. A person shall not be (1)17. Appellate Tribunal for (A) Search-cum-Selection Three Chairpersonqualified for appointment as Electricity under the Committee for the post of Years Seventy years Chairperson of the Appellate Flectricity Act. 2003 Chairperson and Judicial Tribunal. unless he. ---(36 of 2003). Member of the Appellate

<u></u> [भाग	ll-खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र :	असाधारण 		41
		(a) is. or has been. or is qualified to be. a Judge of Supreme Court: or	Tribunal. — (i) Chief Justice of India or his nominee-chairperson:		Member- Sixty-five years
		(b) is, or has been. Chief Justice of a High Court: or	(ii) Secretary to the Government of India.		
		 (c) has. for a period of not less than three years, held office of Judicial Member, or Technical member; or (d) is a person of ability. integrity and standing. and having special knowledge of. and professional experience of not less than twenty-five years in economics. business. commerce, law. finance. accountancy. management, industry. public affairs. administration or any other matter which in the opinion of the Central Government is useful to Appellate Tribunal. (2) A person shall not be qualified for appointment as 	Government of India. Ministry of Power- member: (iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government- member: (iv) two experts. to be nominated by the Central Government-members. (B) Search-cum-Selection Committee for the post of the Technical Member of the Appellate Tribunal. — (i) a person to be nominated by the Central Government- chairperson: (ii) Secretary to the Government of India. Ministry of Power- member:		
		 Judicial Member, unless. he— (a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court; or (b) has. for at least ten years. held a judicial office in the territory of India. 	 (iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government- member: (iv) two experts to be nominated by the Central Government-members. 		
		(3) A person shall not be qualified for appointment as Technical Member unless he is a person of ability. integrity and standing having special knowledge of, and professional experience of. not less than twenty years in matters dealing with electricity generation, transmission. distribution, regulation. economics, business, commerce, law, finance. accountancy, management, industry, public affairs, administration or in any other matter which in the opinion of the Central Government is useful to the Appellate Tribunal.			
18.	Armed Force Tribunal under the Armed Forces Act. 2007 (55 of 2007)	 (1) A person shall not be qualified for appointment as Chairperson. unless. he (a) is, or has been. or is qualified to be a Judge of Supreme Court or, 	(A) The Chairperson of the Armed Forces Tribunal shall be appointed by the Central Government in consultation with Chief Justice of India.	Three Years	Chairperson- Seventy year Member- Sixty-five years

		THE GAZETTE OF INDI.		[PART	II—SEC. 3(i)]
		 (b) is or has been a Chiet Justice of a High Court. (2) A person shall not be qualified for appointment as Judicial Member unless he is. or has been. a Judge of a High Court. (3) A person shall not be qualified for appointment as Administrative Member. unless he, - (a) he has held or he has been holding the rank of Major General or above for a total period of at least three years in the Army or equivalent rank in the Navy or the Air Force; or (b) he has served for not less than one year as Judge Advocate General in the Army or the Navy or the Air Force. and is not below the rank of Major General. Commodore and Air Commodore respectively: or (c) he is a person of ability. integrity and standing having special knowledge of. and professional experience of not less than twenty years in. economics. business. commerce. law. finance. accountancy. management. industry. public affairs. administration or in any other matter which in the opinion of the Central Government. is useful to the Armed Forces Tribunal. 	Committee for the post of Vice- Chairperson. Judicial Member. or Administrative Member of Armed Forces Tribunal (i) a sitting Judge of Supreme Court to be nominated by Chief Justice of India or Chairman, Law Commission of India- chairperson: (ii) Chairperson, Armed Forces Tribunal – member: (iii) two Secretaries to		
19.	National Green Tribunal under the National Green Tribunal Act. 2010 (19 of 2010)	Judicial Member or Expert Member; or (d) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty-five years in law including five years	 (A) Search-cum-Selection Committee for the post of the Chairperson or Judicial Member of the National Green Tribunal. — (i) Chief Justice of India or his nominee-chairperson: (ii) Secretary to the Government of India. Ministry of Environment. Forests and Climate Change- member: (iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government-member: (iv) two experts. to be nominated by the Central Government-members. 	Three Years	Chairperson- Seventy years Member- Sixty-seven years

[भाग]]-खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र :	असाधारण	
forest (2) A qualif Judici (a) is qualif High (b) h held territo (3) A qualif Exper (a) gradu Degre exper the five y in the forest contr mana impa chang diver forest reput instit (b) exper exper the forest contr mana impa chang diver forest reput instit (b) exper exper the forest contr forest reput instit (b) exper exper the forest reput instit (b) exper exper the forest contr forest reput instit (b) exper exper the forest reput instit (c) forest reput instit (c) forest reput instit (c) forest reput instit (c) forest reput instit (c) forest reput forest forest forest reput forest	person shall not be ed for appointment as al Member. unless he. – , or has been, or is ed to be, a Judge of a Court; or as, for at least ten years, a judicial office in the ry of India. A person shall not be ied for appointment as t Member. unless he has a degree/ Post- ation degree/ Doctorate e in Science and has an tence of twenty years in elevant field including ears' practical experience field of environment and s (including pollution ol, hazardous substance gement, environment et assessment. climate e management, biological sity management and conservation) in a ed National level ation; or has administrative ience of twenty years ding experience of five in dealing with onmental matters in the al Government or a State rmment or in a reputed nal or State level	 (B) Search-cum-Selection Committee for the post of the Expert Member of the National Green Tribunal. — (i) a person to be nominated by the Central Government -chairperson: (ii) Secretary to the government of India. Ministry of Environment. Forests and Climate Change -member: (iii) Secretary to the Government of India to be nominated by the Central Government -member: (iv) two experts. to be nominated by the Central Government ment of India Government -members. 	

[F. No. A.50050/9/2016-CESTAT Pt-1] UDAI SINGH KUMAWAT. Jt. Seey.

RAKESH SUKUL Date: 2017.06.0° 22.32:07 +05 30

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press. Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications. Delhi-110054.

Annexure-II

CHECK-LIST OF DOCUMENTS TO BE SENT WITH THE APPLICATION

Name of the Officer: _____

SI. No.	Document	Status of enclosure of document Y – Yes N – No NA – Not Applicable
1	Copies of Annual Confidential Reports/Performance Appraisal Reports of the officer during the last five years	
2	Vigilance clearance (if applicable) of the officer	
3	Integrity certificate of the officer	
4	Annexure-III (Proforma for Bio-Data of the Officer)	
5	Annexure-IV (Proforma for ACR/APAR Grading for the last five years of the Officer)	

(Sign and Seal of the Registrar General)

tip

Annexure-III

Proforma for Bio-data

(to be filled by the judicial officer concerned)

1.	Name (in Full)		
2.	Date of Bi	rth	
3.	Education	al Qualification	
4.	each appointment held from the level of Additional District Judge or equivalent post (In Chronological Order)		
		perience with regard to Labour nay be specifically mentioned)	
5.	Details in respect of last/ current post held	Name of the last/current post Date of appointment to last/current post Date of retirement Scale of pay Last pay drawn or communication	
0.			
7.	Phone no.	(Residential) (Mobile)	
8.	E-mail add	dress	

Date:

٢

Signature:

Name:

Place:

he

Proforma for abstract of ACR Gradings for the the last five years of each judicial officer to be considered for the post of Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, New Delhi-II, Chennai, Ernakulum, Chandigarh-II, Jabalpur, Jaipur, Dhanbad-I and Dhanbad-II

Name of the Officer:

SI. No.	Year/Period	Details of Reporting Authority & Grading	Details of Reviewing Authority & Grading	Details of Accepting Authority & Grading
1				
2				
3				
4				
5				

(Sign and Seal of the Registrar General)

